कोटद्वार, बुधवार
1 अक्टूबर 2025
वर्षः 47
अंकः 144 पृष्ठः 8
मूल्यः 2.00

जयन्त

निर्भीक – निष्पक्ष – जनसरोकार

www.dainikjayantnews.com
स्थापित 1979
संस्थापक : स्व. नगेन्द्र उनियाल

डाक पंजीयन पी.ए.ओ.07-2024-26 फोनः 9412081969 email: nagendra.uniyal@gmail.com

एक नजर

यमुनोत्री के गीठ में भालू के आंतक से लोग परेशान

उत्तरकाशी। तहसील बड़कोट के अंतर्गत गीठ पट्टी क्षेत्र के गांव में भालू के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं। सोमवार रात को भालू ने राना गांव निवासी सोबत सिंह राणा की गाय के बछड़े को गांव के बीच से उठा कर ले गया। इस घटना से ग्रामीण दहशत में हैं। यमुनोत्री क्षेत्र के गीठ पट्टी के गांवों में ग्रामीण इन दिनों भालू के आतंक से परेशान हैं। भालू गांव में घुस कर ग्रामीणों की मवेशियों पर हमला कर रहा है और अब ग्रामीण इसलिए भी ज्यादा परेशान हैं कि यदि भालू गांव के बीच से बछड़े को उठा सकता है तो ग्रामीणों पर भी हमला कर सकता है। राना गांव निवासी सोबत सिंह राणा ने बताया है कि आज रात गांव के बीच से भालू ने उनके बछड़े को उठा ले गया। जब पता चला ग्रामीणों ने भालू को गांव से भगाया। इससे पहले भी फूलचट्टी, खरसाली क्षेत्र में ग्रामीणों के कई बछड़ों को भालू ने हमला कर मार डाला।

त्यौहारी सीजन में पुलिस बल की छुट्टियां निरस्त

रुद्रपुर। सोमवार देर रात एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने काशीपुर व बाजपुर सर्कल के पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की चौकी दोराहा में ब्रीफिंग की। उन्होंने साफ किया कि त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। एसएसपी ने आदेश दिए कि त्योहारी सीजन में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां निरस्त रहेंगी। भीड़भाड़ वाले इलाकों में पैदल गश्त और रात्रि गश्त बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही दशहरा पर्व पर रावण दहन स्थलों का भौतिक सत्यापन, आयोजन समितियों से समन्वय और यातायात व भीड़ नियंत्रण की ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए। बाज़ारों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए ज्वेलर्स, मोबाइल शोरूम और सर्राफा व्यापारियों से समन्वय करने तथा सभी सीसीटीवी कैमरों को सक्रिय रखने को कहा गया। वहीं त्योहारों पर मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए मावा, मिठाई, पनीर और घी–तेल पर सघन चेकिंग अभियान चलाने के भी निर्देश जारी किए गए।

मौसम ने बदली करवट, हल्की बारिश

पिथौरागढ़। नगर में चार दिन के अंतराल के बाद फिर से मौसम ने करवट बदली है। मंगलवार को सुबह से ही यहां बादल छाए रहे, कुछ देर बाद झमाझम बारिश हुई। इससे स्कूली आवाजाही कर रहे बच्चों को खासी दिक्कत उठानी पड़ी। कई जगह तो बच्चे भीगते हुए स्कूलों में पहुंचे। हालांकि कुछ देर बाद बारिश थम गई। फिलहाल बारिश से आमजन को चुभती गर्मी से जरूर निजात मिली है। बारिश के बाद यहां मौसम में ठंडक है।

उत्तराखंड पर्यटन को विशिष्ट पहचान दिलाएगी आयुर्वेद भोजन थाली : महाराज

देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) से आज राजभवन में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर दोनों के मध्य विभिन्न समसामयिक विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में विशेष रूप से उत्तराखण्ड की परंपराओं, पर्यटन एवं आयुर्वेद से संबंधित विषयों पर विचार–विमर्श किया गया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अवगत कराया कि उत्तराखण्ड के पारंपरिक व्यंजन एवं अनाज औषधीय महत्व रखते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में पर्यटन विभाग द्वारा "आयुर्वेद भोजन थाली" की संकल्पना पर कार्य किया जा रहा है। इस थाली को इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि यह न केवल राज्य की विशिष्ट खानपान संस्कृति को नई पहचान प्रदान करे, बल्कि विभिन्न रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में भी सहायक सिद्ध हो। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तराखण्ड को देश–विदेश में पर्यटन के क्षेत्र में और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए राज्य की विशेषताओं और आध्यात्मिक स्थलों पर आधारित एक शॉर्ट मूवी एवं उत्कृष्ट कॉफी टेबल बुक तैयार की जा रही है। साथ ही परंपरागत पद्धति से आयुर्वेद और जड़ी–बूटियों के ज्ञान को जीवित रखने वाले वैद्यों को सम्मानित किए जाने का भी प्रस्ताव है, क्योंकि उनका योगदान समाज और स्वास्थ्य दोनों के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। राज्यपाल ने इन प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास न केवल उत्तराखण्ड की परंपरा और संस्कृति को संरक्षित करेंगे,

केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा

सरकार ने किया 30 दिन की सैलरी के बराबर बोनस का ऐलान

नई दिल्ली , दशहरा और दिवाली के त्योहारों से ठीक पहले केंद्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को नॉन–प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (एड–हॉक बोनस) देने की घोषणा की है। इस फैसले के तहत, सभी पात्र कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के बराबर की राशि बोनस के रूप में मिलेगी। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?

जारी आदेश के मुताबिक, इस बोनस का लाभ केंद्र सरकार के ग्रुप 'ष्ट्स्न के सभी कर्मचारियों और ग्रुप 'उन सभी गैर–राजपत्रित कर्मचारियों को मिलेगा, जो किसी अन्य प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम में शामिल नहीं हैं। इनके अलावा, केंद्रीय अर्धसञ्जसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मियों के साथ–साथ केंद्र शासित प्रदेशों के उन कर्मचारियों को भी यह बोनस दिया जाएगा जो केंद्र सरकार के वेतन पैटर्न का पालन करते हैं। हालांकि, इस बोनस के लिए पात्रता की कुछ शर्तें भी हैं, जिसके तहत लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च, 2025 तक सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2024–25 के दौरान कम से कम 6 महीने की निरंतर सेवा दी हो। जिन कर्मचारियों ने पूरे साल सेवा नहीं दी है, उन्हें सेवा के महीनों के अनुपात में (प्रो–राटा आधार पर) यह बोनस प्रदान किया जाएगा।

कैसे होगी बोनस की गणना?

एड–हॉक बोनस की गणना के लिए मासिक वेतन की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये तय की गई है। बोनस की राशि की गणना कर्मचारी के औसत वेतन या 7,000 रुपये (जो भी कम हो) के आधार पर की जाएगी।

उदाहरण के लिएः यदि किसी कर्मचारी का मासिक वेतन 7,000 रुपये है, तो उसका 30 दिनों का बोनस लगभग 6,908 रुपये बनेगा।

फॉर्मूलाः एक दिन के बोनस की गणना के लिए साल भर के औसत वेतन को 30.4 (महीने में औसत दिन) से भाग दिया जाएगा। फिर, इस राशि को 30 से गुणा किया जाएगा।

कैजुअल मजदूरों के लिए भी व्यवस्था

आदेश में कैजुअल मजदूरों का भी ध्यान रखा गया है। ऐसे कैजुअल लेबर, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित कार्य दिवसों तक काम किया है, उन्हें 1,184 रुपये का निश्चित बोनस दिया जाएगा।

मुंबई से दिल्ली आ रहे इंडिगो के विमान को मिली बम की धमकी, दिल्ली एयरपोर्ट पर सघन तलाशी

नई दिल्ली, दिल्ली एयरपोर्ट पर मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6ई 762 को बम से उड़ाने की धमकी मिली। यह धमकी सुबह करीब 8 बजे मिली। सूचना मिलने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर सतर्कता बढ़ा दी गई और विमान की लैंडिंग के समय सभी सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया गया। हालांकि जांच में ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

हालांकि, जांच के बाद यह पता चला कि यह धमकी नॉन–स्पेसिफिक यानी स्पष्ट रूप से किसी सटीक खतरे की ओर इशारा नहीं कर रही थी। बावजूद इसके, किसी भी प्रकार की चूक से बचने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई की। दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को उतारा गया और विमान की गहन तलाशी ली गई। यात्रियों के सामान की भी बारीकी से जांच की गई। जांच पूरी होने तक एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा, मुंबई से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की उड़ान 6ई 762 में सुरक्षा खतरा देखा गया। स्थापित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, हमने संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित किया और विमान को उड़ान भरने की अनुमति देने से पहले आवश्यक सुरक्षा जांच में उनका पूरा सहयोग किया। हमने अपने यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए हरसंभव प्रयास किया है, जिसमें उन्हें जलपान उपलब्ध कराना और नियमित अपडेट शेयर करना शामिल है। हमेशा की तरह, हमारे यात्री, पायलट और विमान की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

प्रदेश में निर्माण और नव निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए : सीएम

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में निर्माण और नव निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि अब मानसून अवधि पूर्ण हो चुकी है, सभी विभाग धरातल पर कार्यों में तेजी लाएं। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी सड़कें निर्धारित समय सीमा में गड्ढा मुक्त की जाएं। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए। जिन क्षेत्रों से बार–बार सड़क संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वहां विशेष निगरानी रखी जाए और कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने गड्ढा मुक्त सड़क अभियान की कार्य प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करने तथा 31 अक्टूबर तक पैच वर्क पूर्ण का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव शैलेश बगोली, डॉ. पंकज पांडेय, विनय शंकर पांडेय, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते एवं अपर सचिव बंशीधर तिवारी उपस्थित थे।

यूपी में कहर बनकर लौटा मॉनसून, बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत, 6 बच्चे घायल

नई दिल्ली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से विदाई ले चुके मानसून ने महासागरों के ऊपर हुई हलचल के कारण फिर से वापसी की और मंगलवार को कई जिलों में वज्रपात के रूप में कहर बरपाया। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने और बारिश से संबंधित घटनाओं में कुल 17 लोगों की मौत हुई है, जबकि 6 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अरब सागर में बने परिसंचरण के कारण पूर्वानुमान के विपरीत कानपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में सुबह से देर शाम तक गरज–चमक के साथ भारी बारिश हुई। इस दौरान बुंदेलखंड और मध्य यूपी में 12 लोगों की मौत हुई। इनमें फतेहपुर में चार और कन्नौज व महोबा में तीन–तीन मौतें हुईं। इसके अलावा, चित्रकूट और कानपुर के बिल्हौर में एक–एक व्यक्ति की जान गई। ब्रज क्षेत्र में भी दो लोगों की मौत हुई। मथुरा के सुरीर और आगरा के डौकी में एक–एक व्यक्ति ने दम तोड़ा। हाथरस में बिजली गिरने से दो किसानों की मौत हो गई। वहीं बलरामपुर के ललिया थाना क्षेत्र में सुबह गरज–चमक के साथ दो स्थानों पर बिजली गिरी। इसकी चपेट में आए किसान की मौके पर ही मौत हो गई है। मकान की छत दरक गई। सदमें में आकर दंपति की हालत बिगड़ गई।

संभल में स्कूल पर गिरी बिजली

संभल के गुन्नौर में बूंदाबांदी के दौरान बिजुआनगला गांव के प्राथमिक स्कूल पर आकाशीय बिजली गिर गई। लिंटर का प्लास्टर टूटने से स्कूल में अफरातफरी मच गई और छह बच्चे घायल हो गए। सूचना मिलते ही खंड शिक्षा अधिकारी अस्पताल पहुंचे, जबकि ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही।

ब्रज क्षेत्र में जलभराव से आफत

मथुरा और फिरोजाबाद में तेज बारिश के कारण जलभराव की विकट स्थिति बनी रही। मथुरा में जलभराव में फंसी एक कार से दो लोगों को बमुश्किल निकाला गया। आकाशीय बिजली गिरने से मथुरा के सुरीर क्षेत्र में एक महिला और आगरा के डौकी में एक युवक की जान चली गई। मैनपुरी के किशनी में भी बिजली गिरने से मवेशियों के मरने की खबर है।

मध्य यूपी और बुंदेलखंड में 12 मौतें

कानपुर, फतेहपुर, कन्नौज, महोबा और चित्रकूट जैसे बुंदेलखंड और मध्य यूपी के जिलों में वज्रपात से कुल 12 लोगों की मौत हुई है। अकेले फतेहपुर में चार और कन्नौज–महोबा में तीन–तीन मौतें दर्ज की गई हैं।

मौसम का मौजूदा हाल और पूर्वानुमान

मेरठ समेत पश्चिमी यूपी के अधिकांश जिलों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। दिन के तापमान में 5.5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। कानपुर में शाम 05:30 बजे तक 22.4 मिमी बारिश दर्ज हुई। अगले 24 घंटों में बांदा, चित्रकूट, लखनऊ आगरा, फिरोजाबाद और आसपास के 30 से अधिक जिलों में गरज चमक के बीच वज्रपात के साथ 30–40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

फैसलाः 54 हजार किमी. चली वैन के मालिक को उपभोक्ता मानने से किया इंकार

देहरादून। उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अहम फैसला सुनाते हुए टाटा मोटर्स लिमिटेड और कोटद्वार स्थित डीलर कॉमर्शियल मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड को बड़ी राहत दी है। राज्य आयोग ने वैन मालिक को यह कहते हुए उपभोक्ता मानने से इंकार कर दिया। कहा कि वैन मालिक ने एक साल 54 हजार किमी. वैन व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए चलाई। जिला फोरम पौड़ी ने अनूप कुमार खर्कवाल की शिकायत पर कंपनी और डीलर को नया वाहन या 6.40 लाख की धनराशि ब्याज सहित लौटने के आदेश दिए थे। इस फैसले के खिलाफ वाहन कंपनी और डीलर ने राज्य आयोग में अपील की थी। अनूप खर्कवाल का आरोप था कि उन्होंने टाटा विंगर मैक्स वैन खरीदी थी, जिसमें एक साल के भीतर ही कई खराबियां आ गईं। राज्य आयोग ने अपने आदेश में पाया कि शिकायतकर्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 'उपभोक्ता' नहीं है। आयोग ने पाया कि वाहन ने खरीद के सिर्फ एक साल के भीतर 54,083 किलोमीटर की दूरी तय की थी, जो यह दर्शाता है कि इसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया गया था। आयोग ने इस तथ्य के साथ यह पाया कि इतनी अधिक दूरी तय करने के तथ्य से यह पता चलाता है कि वाहन सड़क पर चल रहा था और जो समस्याएं पैदा हुई लापरवाह ड्राइविंग के कारण पैदा हुई हैं। शिकायकर्ता आयोग में वाहन में कंपनी से ही खराबी होने के ठोस प्रमाण पेश नहीं कर पाए। इस आधार पर आयोग ने जिला फोरम के आदेश को रद्द कर दिया।

काशी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

महागौरी और अन्नपूर्णा माता की पूजा का विशेष विधान

वाराणसी , धर्म नगरी काशी में शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर मां दुर्गा के आठवें स्वरूप महागौरी और मां अन्नपूर्णा की आराधना का अनूठा उत्साह देखने को मिल रहा है। नवरात्रि के दौरान जहां नौ दुर्गा स्वरूपों का पूजन किया जाता है, वहीं काशी में नौ गौरी की पूजा का विशेष विधान भी है। सुबह से ही माता के दर्शन–पूजन का सिलसिला शुरू हो गया। भक्त मां महागौरी और मां अन्नपूर्णा से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। दुर्गा सप्तशती में वर्णित है कि शुंभ–निशुंभ से पराजित देवताओं ने गंगा तट पर महागौरी की प्रार्थना की थी, जिनके अंश से कौशिकी का जन्म हुआ और उन्होंने दैत्यों के आतंक से देवताओं को मुक्ति दिलाई थी। मां अन्नपूर्णा मंदिर के पुजारी अर्जुन पांडेय ने बताया, अष्टमी के दिन माता के आठवें स्वरूप महागौरी के दर्शन होते हैं। श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और माता उनके सारे कष्ट दूर करती हैं। मां अन्नपूर्णा हिमाचल की पुत्री और अन्न की देवी हैं। कहा भी गया है, 'हिमाचल की पुत्री तू ही शंभू रानी, नमो अन्नपूर्णा नमो अन्नदाता भवानी।' भगवान विश्वनाथ भी यहां भिक्षा लेने आए थे। माता के दर्शन और परिक्रमा से धन–दौलत, यश–कीर्ति प्राप्त होती है।

श्रद्धालु राजकुमारी ने कहा, यहां भक्त पहले मां अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं, फिर 108 परिक्रमा करते हैं। सभी देवियों में एक ही शक्ति है, बस नाम अलग हैं।वहीं, प्रीति ने बताया, माता के दर्शन से जीवन में समृद्धि आती है। मां महागौरी और दुर्गा के स्वरूप में यहां विराजमान हैं।काशी का अन्नपूर्णा मंदिर काफी प्रसिद्ध है।

पांच बार सांसद और दो बार विधायक रहे विजय कुमार मल्होत्रा का निधन

नई दिल्ली , भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा का मंगलवार सुबह दिल्ली के एम्स अस्पताल में 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। दिसंबर 1931 में लाहौर में जन्मे विजय कुमार मल्होत्रा दिल्ली से पांच बार सांसद और दो बार विधायक रह चुके थे। वे 1972 से 1975 तक दिल्ली जनसंघ के अध्यक्ष रहे और इसके बाद दो बार भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष (1977–80 और 1980–84) के पद पर भी रहे। एम्स ने एक बयान में कहाः 93 वर्षीय वरिष्ठ भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को एम्स, नई दिल्ली में भर्ती कराया गया था, जहां 30 सितंबर 2025 की सुबह उनका निधन हो गया। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा, जीवनपर्यंत जनसेवा में समर्पित रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा के निधन से गहरा दुख हुआ है। वे जमीन से जुड़े ऐसे नेता थे, जिन्हें जनता के मुद्दों की गहरी समझ थी। दिल्ली में पार्टी को सशक्त बनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई।

उन्होंने कहा, संसद में अपनी सक्रियता और योगदान के लिए भी वे सदैव याद किए जाएंगे। शोक की इस घड़ी में उनके परिवारजनों और शुभचिंतकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ? शांति!

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी शोक व्यक्त किया और कहा कि विजय कुमार मल्होत्रा का जीवन पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। सचदेवा ने एक बयान में कहाः हमें दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली भाजपा के पहले अध्यक्ष, प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का आज सुबह अचानक निधन हो गया। वे 94 वर्ष के थे।

उन्होंने कहा, प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का जीवन सादगी और जनसेवा के प्रति समर्पण की एक मिसाल था। जनसंघ के समय से ही उन्होंने दिल्ली में आरएसएस की विचारधारा के प्रसार के लिए लगातार काम किया। उनका जीवन हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा प्रेरणा रहा है और आगे भी रहेगा।

यौन शोषण के आरोपी बाबा का नया ड्रामाः पूछताछ में बोला झूठ, मोबाइल ने खोले लड़कियों से चैट के राज

नई दिल्ली , कई छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती को लेकर पुलिस जांच में हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस हिरासत में मौजूद बाबा न तो अपने किए पर कोई पछतावा जाहिर कर रहा है और न ही पूछताछ में सहयोग कर रहा है। वह लगातार झूठ बोलकर जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच, पुलिस को बाबा के फोन से कई लड़कियों के साथ आपत्तिजनक चैट्स और तस्वीरें मिली हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में हो रही पूछताछ के दौरान बाबा चैतन्यानंद सवालों के गोलमोल जवाब दे रहा है। वह केवल तभी सच कबूलता है जब पुलिस उसके सामने पुख्ता सबूत पेश करती है। हैरानी की बात यह है कि 16 छात्राओं के यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप में गिरफ्तार बाबा ने हिरासत के पहले ही दिन फल और अन्य चीजों की मांग शुरू कर दी, जिससे जांच अधिकारी भी हैरान रह गए। पुलिस को बाबा के पास से बरामद तीन मोबाइल फोन और एक आईपैड से कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। जांच में पता चला है कि बाबा अपने फोन में कई लड़कियों की मोबाइल डीपी के स्क्रीनशॉट रखता था।

पीएम मोदी ने भी गाजा में सीजफायर को लेकर ट्रंप के प्लान पर लगाई मुहर

बोले– ये स्थायी शांति के लिए जरूरी

गाजा , गाजा में सीजफायर से जुड़े अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि राष्ट्रपति ट्रंप के इस प्रस्ताव को सभी पक्षों का समर्थन मिलेगा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्सड्ढ्र पर लिखा, हम गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापक योजना का स्वागत करते हैं। यह फिलिस्तीनी और इजरायली लोगों के साथ–साथ व्यापक पश्चिम एशियाई क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक और स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का एक व्यवहार्य मार्ग प्रदान करता है। हमें उम्मीद है कि सभी संबंधित पक्ष राष्ट्रपति ट्रंप की पहल पर एकजुट होंगे और संघर्ष को समाप्त करने और शांति सुनिश्चित करने के इस प्रयास का समर्थन करेंगे। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 20 प्वाइंट्स में गाजा में संघर्ष खत्म करने के लिए प्लान तैयार किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस प्लान को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और मुस्लिम देशों का समर्थन मिल चुका है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति का यह प्रस्ताव मिस्र और कतर के मध्यस्थों ने हमास के सामने पेश किया है। हमास ने प्रस्ताव को लेकर कहा कि किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से पहले इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूएनजीए की बैठक से इतर अरब और मुस्लिम देशों के साथ बैठक की थी। इस दौरान ही गाजापट्टी में सीजफायर को लेकर ट्रंप ने अपना प्रस्ताव पेश किया। अमेरिका ने फिर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी अपनी योजना बताई। पीएम नेतन्याहू ने भी ट्रंप के प्लान का समर्थन किया। इसके बाद नेतन्याहू ने ट्रंप से वाशिंगटन डीसी में 29 सितंबर की देर रात को मुलाकात की। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर हमला किया था, जिसके बाद से इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने इसे मिटाने की कसम खाई थी। बीते दो वर्षों से ये संघर्ष जारी है। हमले की दूसरी वर्षगांठ से पहले नेतन्याहू ने भी सीजफायर को लेकर अपनी इच्छा जताई है।

बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने जारी की फाइनल वोटर लिस्ट

नई दिल्ली ,बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मंगलवार (30 सितंबर 2025) को अंतिम निर्वाचक सूची जारी कर दी गई है। राज्य के सभी पात्र मतदाता अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने नाम की जानकारी देख सकते हैं।चुनाव आयोग ने एक लिंक शेयर किया है, जिस पर मतदाता अपने नाम, पते और अन्य विवरण की पुष्टि कर सकते हैं। निर्वाचक सूची का प्रकाशन विधानसभा चुनावों की तैयारियों में एक अहम कदम माना जा रहा है। इससे पहले एक अगस्त को चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद पहला संशोधित वोटर लिस्ट ड्राफ्ट जारी किया था। बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों के 90,817 मतदान केंद्रों के लिए तैयार मतदाता सूची का प्रारूप मान्यता राजनीतिक दलों के साथ भी शेयर किया गया था। बता दें कि एसआईआर के पहले चरण में कुल 65,64,075 मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। इनमें फर्जी मतदाता और मृतक मतदाता शामिल थे। साथ ही, उन लोगों के भी नाम हटाए गए थे, जिनका वोटर आईडी कार्ड किसी अन्य राज्य में बना हुआ है। हालांकि, इस पर कई नेताओं ने आपत्ति भी दर्ज कराई थी, जिस पर जमकर बहस चली थी। खासकर विपक्षी पार्टियों के नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खरगे, मनोज झा समेत अन्य नेताओं ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा था और फर्जी अवैध मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर जमकर बवाल किया था। इन सबके बीच, यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाया गया, जहां एसआईआर की प्रक्रिया में आधार कार्ड को भी एक दस्तावेज के रूप में शामिल किए जाने को लेकर अंतरिम निर्देश जारी किया गया था।

कैसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम?

अगर आप बिहार की अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, तो आप इसे ऑनलाइन, मोबाइल ऐप या एसएमएस के जरिए कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आसान है और इसके लिए केवल बुनियादी जानकारी या आपके वोटर आईडी) नंबर की आवश्यकता होती है।

एमपी में रहस्यमयी बीमारी का कहर, किडनी संक्रमण से 22 दिन में 7 बच्चों की मौत

छिंदवाड़ा , मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में एक रहस्यमयी बीमारी ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की नींद उड़ा दी है। पिछले 22 दिनों के भीतर किडनी में संक्रमण के कारण 7 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ताजा मामला दिघवानी गांव के चार वर्षीय विकास यदुवंशी का है, जिसने शनिवार को नागपुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। लगातार हो रही बच्चों की मौतों ने जिले के अधिकारियों को सकते में डाल दिया है। अधिकारियों के अनुसार, इस प्रकार के किडनी संक्रमण के ज्यादातर मामले जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर तामिया और आस–पास के कोयलांचल इलाकों से सामने आए हैं। वर्तमान में भी कुछ बच्चों का इलाज छिंदवाड़ा और नागपुर के निजी अस्पतालों में चल रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने फोन पर जिलाधिकारी (ष्ठरू) शैलेंद्र सिंह से बात कर स्थिति की जानकारी ली और बच्चों को सर्वोत्तम उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

गंगोत्री के बाद यमुनोत्री धाम के कपाट कब होंगे बंद, आ गई तारीख

उत्तरकाशी। चारधाम यात्रा के महत्वपूर्ण धाम गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट शीतकाल के लिए अक्टूबर के अंत में बंद कर दिए जाएंगे। मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने बताया कि गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्तूबर को अन्नकूट पर्व के दिन सुबह 11:36 बजे विधि–विधान के साथ बंद होंगे। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट अगले दिन 23 अक्तूबर को भैयादूज के अवसर पर बंद किए जाएंगे। सेमवाल ने जानकारी दी कि तीर्थ पुरोहितों ने नवरात्र की अष्टमी पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद करने का शुभ मुहूर्त निकाला है। उन्होंने कहा कि यमुनोत्री के कपाट बंद करने का मुहूर्त नवमी के दिन तय किया जाएगा। यह परंपरा हर साल नवरात्र के दौरान निभाई जाती है। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की शीतकालीन पूजा मुखबा गांव स्थित गंगा मंदिर में की जाएगी। श्रद्धालु शीतकाल में वहीं दर्शन और पूजा का लाभ ले सकेंगे। इसी तरह यमुनोत्री धाम की मूर्तियां भी शीतकाल के लिए खरसाली गांव लायी जाएंगी, जहां पूजन–अर्चन की परंपरा निभाई जाएगी।

सम्पादकीय

करारी हार के घाव

दुबई में खेली गई एशिया कप क्रिकेट चैंपियनशिप में भारत ने पूरी दुनिया को यह दिखाया कि यूं ही क्रिकेट के खेल में उसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीम के रूप में देखा जाता है। बात जब भारत पाकिस्तान के किसी भी मुकाबला की हो तो यह सिर्फ एक मैच न रहकर भावनाओं एवं देशभक्ति से जुड़ जाता है। पिछले एक दशक में जिस प्रकार की परिस्थितियों पड़ोसी देश पाकिस्तान की ओर से पैदा की गई है उस दोनों देशों के बीच नफरत की खाई और गहराती चली गई है जिसका असर क्रिकेट में भी देखने को मिला है। हाल ही में पाकिस्तान में संपन्न हुई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान में खेलने से मन कर दिया था जिस पर बाद में दूसरे देश में यह मैच हुआ जो भारत ने जीता। इधर एशिया कप मुकाबले में आमने–सामने हुई जिसमें तीन मैचों में लगातार भारत में पाकिस्तान को हार का स्वाद चखाया। जैसे–तैसे पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा लेकिन यहां भी उसे हार मिली लेकिन इस पूरे आयोजन के दौरान भारतीय टीम ने देश की भावनाओं के साथ चलते हुए पाकिस्तान को हर मोर्चे में पराजित किया। पहले पाकिस्तान टीम के साथ मैच के दौरान हाथ नहीं मिलाया गया तो वहीं जीत को भारतीय सेना को समर्पित करते हुए एक सीधा संदेश पाकिस्तान के उन हुक्मरानों के पास भेजा जो पाकिस्तान से भारत के खिलाफ जहर का षड्यंत्र रचते हैं। निश्चित तौर से पाकिस्तान के लिए पहले टीम पराजय और फिर उसके बाद यह कूटनीतिक तमाचा सहन से बाहर था, उस पर चिंगारी तब और भड़क गई जब भारतीय टीम ने एशिया कप का फाइनल जीतने के बाद पाकिस्तान के गृहमंत्री एवं एशिया क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान भारतीय खिलाड़ियों के इस रवैये को सहन नहीं कर पाया और मोहसिन नक़वी मैदान से ही ट्रॉफी को लेकर चलते बने और अब ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच गई है। इधर भारतीय टीम ने बिना ट्रॉफी के ही जश्न जिसमें पूरे देश ने उनके साथ दिया। दुबई के मैदान से भारतीय टीम द्वारा दिया गया यह संदेश पाकिस्तान के लिए एक करारे तमाचे के समान है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि जहां एक तरफ आप नफरत की आग फैलाई गई हो और एक शांतिप्रिय देश के खिलाफ षड्यंत्र की पूरी सीरीज चलाते हो ऐसे देश के नेता के हाथ से ट्रॉफी नहीं ली जा सकती। मोहसिन नक़वी अब हठधर्मिता पर उतर आए हैं और ट्रॉफी को ऐसे सहेज कर बैठे हैं मानो तीन–तीन करारी हार के बाद भी ट्रॉफी उनकी हो गई है। मोहसिन नक़वी का यह कृत्य पाकिस्तान को पूरे क्रिकेट जगत में और भी अधिक शर्मसार कर रहा है। इधर पूरा देश और भारतीय टीम एशिया कप जीतने से खुश तो है ही लेकिन उससे भी बड़ी गर्व की उपलब्धि यह है कि बिना एक भी हथियार चलाए भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को वह घाव दिए हैं जिनकी भरपाई वह कभी नहीं कर पाएगा।

विकसित भारत रोज़गार योजना देगी युवा शक्ति के सपनों को नई उड़ान

वर्ष 2014 में, भारत विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हुए आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने वैश्विक पटल पर अपने लिए एक उल्लेखनीय स्थान बनाया है और इसमें इसके मानव संसाधन की शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस सफलता की कहानी को बल देने वाला तथ्य यह है कि भारत के आर्थिक विकास के साथ–साथ रोजगार का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। आरबीआई–केएलईएमएस के अनुसार, जहां 2004–2014 के बीच केवल 2.9 करोड़ रोजगार सृजित हुए थे, उसके बाद के दशक में 17 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित हुए। औपचारिकीकरण में भी तेजी आई है, ईपीएफओ के आंकड़ों के अनुसार पिछले सात वर्षों में लगभग आठ करोड़ नौकरियां सृजित हुई हैं।

डॉ. मनसुख मांडविया

भारत की विकास गाथा हमेशा से उसकी श्रम शक्ति द्वारा लिखी गई है। देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में करोड़ों श्रमिकों के समर्पण और क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, पिछले 11 वर्षों में भारत की आर्थिक प्रगति ने उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2014 में, भारत विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हुए आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने वैश्विक पटल पर अपने लिए एक उल्लेखनीय स्थान बनाया है और इसमें इसके मानव संसाधन की शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

इस सफलता की कहानी को बल देने वाला तथ्य यह है कि भारत के आर्थिक विकास के साथ–साथ रोजगार का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। आरबीआई–केएलईएमएस के अनुसार, जहां 2004–2014 के बीच केवल 2.9 करोड़ रोजगार सृजित हुए थे, उसके बाद के दशक में 17 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित हुए। औपचारिकीकरण में भी तेजी आई है, ईपीएफओ के आंकड़ों के अनुसार पिछले सात वर्षों में लगभग आठ करोड़ नौकरियां सृजित हुई हैं।

भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में बढ़तोरी होना भी हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। 2015 में, केवल 19 प्रतिशत भारतीय कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आते थे। 2025 तक, यह संख्या बढ़कर 64.3 प्रतिशत हो चुकी है और 94 करोड़ लाभार्थी इसके दायरे में आए हैं, जिससे भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा कवरेज देने वाला देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस उपलब्धि को वैश्विक स्तर पर कवरेज के सबसे तेज विस्तार में से एक माना है।

यह स्पष्ट है कि राष्ट्र का भविष्य न केवल जीडीपी वृद्धि की गति से, बल्कि हमारे द्वारा सृजित नौकरियों की गुणवत्ता, श्रमिकों को दी जाने वाली सुरक्षा और अपने युवाओं को प्रदान किए जाने वाले अवसरों से भी तय होगा। बढ़ते स्वचालन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कारण बनी अनिश्चितता की स्थिति, आपूर्ति–श्रृंखला में बदलाव और दुनिया भर में नौकरियों को आकार देने वाली कई अन्य कमजोरियों की वैश्विक पृष्ठभूमि में, भारत एक जनसांख्यिकीय परिवर्तन के बिंदु पर खड़ा है।

हमारी 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, जो एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय लाभांश है जो हमारी अर्थव्यवस्था को गति दे देता है, जबकि पश्चिमी देशों में आबादी वृद्ध होती हो रही है। वर्षों से, भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश यानी इसकी युवा शक्ति को इसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता रहा है। फिर भी, पिछली सरकारों के अधीन, इस क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया गया। अमृत काल में, जब हम 2047 तक एक विकसित भारत के विजन की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, हमारे सामने कार्य स्पष्ट हैः हमें संभावना से समृद्धि की ओर बढ़ना होगा।

इस पृष्ठभूमि में, रोजगार अब केवल एक आर्थिक संकेतक नहीं रह गया है; यह सम्मान, समानता और राष्ट्रीय शक्ति का आधार है। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने युवाओं को रोजगार योग्य बनाएं, उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करें, उन्हें वित्तीय साक्षरता से लैस करें और यह सुनिश्चित करें कि वे एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली द्वारा सुरक्षित हों। तभी हमारा जनसांख्यिकीय लाभ वास्तव में एक स्थायी राष्ट्रीय लाभांश में परिवर्तित हो सकता है इसी चुनौती का समाधान करने और आकांक्षा व अवसर के बीच के अंतर को पाटने के लिए, 15 अगस्त को लाल क़िले की प्राचीर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। शुरुआत में केंद्रीय बजट 2024–25 में प्रस्तुत और प्रधानमंत्री जी के अपने 12वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में घोषित यह योजना पैमाने और डिजाइन, दोनों ही दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। 1 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ, यह भारत के इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिससे 3.5 करोड़ से ज़्यादा रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। इनमें से दो करोड़ लाभार्थी पहली बार नौकरी पाने वाले होंगे।

योजना के दो स्तंभः पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन और नियोक्ताओं को सहायता

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को इसकी संरचना ही अलग बनाती है। रोजगार सृजन को बढ़ावा देने वाले पहले के कार्यक्रमों के विपरीत, यह योजना युवाओं की रोजगार क्षमता और उद्यम प्रतिस्पर्धात्मकता की दोहरी चुनौती का एक साथ समाधान करती है। भाग 'एइ के तहत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों (दो किश्तों में 15,000 रुपए तक) और भाग 'बीइ के तहत नियोक्ताओं (प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए प्रति माह 3,000 रुपए तक) को प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके, यह श्रमिकों के लिए प्रवेश बाधाओं को कम करता है और साथ ही व्यवसायों के लिए नियुक्ति जोखिम को भी कम करता है।

इस योजना का औपचारिकीकरण और सामाजिक सुरक्षा एकीकरण की दिशा में प्रोत्साहन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और नए कर्मचारियों को पहले दिन से ही सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों से जोड़ा जा सकेगा। इस प्रकार, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, एक औपचारिक, सुरक्षित और उत्पादक श्रम बाजार की ओर एक संरचनात्मक कदम है। इसके अलावा, विनिर्माण क्षेत्र में नियोक्ताओं को प्रोत्साहन पर अतिरिक्त ध्यान, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और प्रयास है।

समावेशी और सतत विकास को गति देना

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, योजना–आधारित पहलों से हटकर एक व्यापक रोजगार प्रणाली की ओर बदलाव का संकेत देती है। यह पूर्व की पहलों से मिली सीख पर आधारित है, उत्पादन–आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई), राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन और मेक इन इंडिया जैसी वर्तमान योजनाओं का पूरक है और प्रतिस्पर्धी वैश्विक व्यवस्था में काम की बदलती प्रकृति को पहचानती है।

श्रमिकों और नियोक्ताओं, दोनों को प्रोत्साहन देकर, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना यह मान्यता देती है कि रोजगार सृजन एक साझा जिम्मेदारी है। भारत डिजिटल नवाचार को अपनाते हुए एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने का प्रयास कर रहा है, इसलिए यह योजना सुनिश्चित करती है कि कोई भी पीछे न छूटे – यहां तक कि सबसे छोटा उद्यम और कार्यबल में शामिल होने वाला सबसे नया व्यक्ति भी राष्ट्रीय विकास की यात्रा में भागीदार बने।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनाः नए भारत की नींव

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक नीतिगत घोषणा से कहीं अधिक बढ़कर है। यह जनसांख्यिकीय लाभांश को सार्वजनिक समृद्धि में बदलने की दिशा में एक ठोस कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, यह पहल विकसित भारत के विजन को साकार करने की नींव का हिस्सा है, जहां हर युवा को सार्थक रोजगार मिले, हर काम में सम्मान हो और हर युवा को अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिले रोजगार निर्माण सही मायने में राष्ट्र निर्माण है। इस पहल के साथ, मोदी सरकार अपनी इस प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है कि कोई भी आकांक्षा अधूरी नहीं रहेगी और कोई भी युवा अवसर से वंचित नहीं रहेगा। हम सब मिलकर भारत की युवा शक्ति को नई उड़ान दे रहे हैं और उनके माध्यम से, विकसित भारत के सपने को भी नई गति प्रदान कर रहे हैं।

पांच वर्षों में कुछ नहीं बदला

दुनिया को अफ़ग़ानिस्तान बेचा है। उसके खनिज, उसके भूगोल, उसकी स्थिरता की संभावना के सौदे में आधी आबादी को ताले में रखे रखने का पक्का बंदोबस्त हो रहा है। तालिबान को मान्यता मिलने लगी है। 15 अगस्त को पंखुड़ियों की बारिश से एक महीना पहले रूस पहला देश बना जिसने उसे आधिकारिक मान्यता दी। मास्को में इस्लामिक अमीरात ऑफ़ अफ़ग़ानिस्तान का झंडा फहराया गया। तालिबान ने 20 अगस्त को चीन और पाकिस्तान के साथ त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की। 2024 में संयुक्त अरब अमीरात ने तालिबानी राजदूत स्वीकार किया, फिर जनवरी में चीन ने। अब कम से कम 15 देशों के राजदूत काबुल में हैं,

श्रुति व्यास

विडंबना है कि अफ़ग़ानिस्तान ने 15 अगस्त को जब स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो गुलाब की पंखुड़ियाँ उन मर्दों पर बरसीं जिन्होंने आधे देश को पिंजरे में कैद कर रखा है। तालिबान का शासन अब दूसरे दौर के पाँचवें साल में दाख़िल है। इन पांच वर्षों में कुछ बदला नहीं। वह दुनिया का इकलौता देश है जहाँ सत्ता पूरी तरह मर्दों के हाथ में है और औरतों को न केवल घरों में, पर्दे में जकड़ दिया है बल्कि उन्हें ग़ैर–ज़रूरी बना दिया है। इक्कीसवीं सदी में भला कौन सोच सकता था कि पृथ्वी पर एक ऐसा राष्ट्र भी होगा जो आधी आबादी को बंद कर दे, औरतों को अदृश्य बना दे और उनकी अहमियत केवल बच्चों को जन्म देने में सीमित हो।

यों दुनिया ने तालिबान को कूटनीतिक अछूत बना रखा है तब तक जब तक वे औरतों के प्रति अपना रवैया नहीं बदलें और अपने सर्व–मर्दाना पश्तून कैबिनेट को समावेशी नहीं बनाए। पर कोई फर्क नहीं पड़ा।। अफगान लड़कियों के लिए सेकेंडरी स्कूल के दरवाज़े बंद हैं। औरतें एनजीओ में काम नहीं कर सकतीं, पार्कों में नहीं जा सकतीं। स्वतंत्रता दिवस पर जिन छह जगहों पर फूल बरसाए गए, उनमें से तीन पर औरतों की एंट्री मना थी। काबुल में वह इस्लामी पुलिस सख्ती से गश्त करती है जो नजर रखती है कि औरतें नक़ाब में हैं या नहीं? उनके साथ कोई पुरुष रिश्तेदार है या नहीं? शहर की कुछ बची हुई महिला एक्टिविस्टों में से एक ने साफ़ कहाः अफ़ग़ान औरतों की ज़िंदगी अब अनुमतियों की सीरिज में सिमट चुकी है। हर अनुमति मर्दों के हाथ में है। तालिबान को उनकी इसी हक़ीक़त के लिए सज़ा भी मिली है। वे प्रतिबंधित है, तिरस्कृत है और दुनिया में मान्यता से वंचित है। बावजूद इसके दुनिया उनके साथ जीना सीख रही है। आत्रोश की जगह चुपचाप स्वीकार्यता ने ले ली है–मानो अफ़ग़ानिस्तान की तक़दीर अटल हो, और उसकी औरतें बलिदान योग्य। बड़े संकट और जगह हैं, ध्यान वहीं जा रहा है। नतीजा यह है कि वे ही देहाती मुल्ला जिन्हें कभी कलाश्निकोव लहराते जंगली कट्टरपंथी कहा गया, अब सिले–सिलाए पगड़ियों में चतुर कूटनीतिज्ञ बनकर लौटे हैं। उन्होंने दुनिया को अफ़ग़ानिस्तान बेचा है। उसके खनिज, उसके भूगोल, उसकी स्थिरता की संभावना के सौदे में आधी आबादी को ताले में रखे रखने का पक्का बंदोबस्त हो रहा है। तालिबान को मान्यता मिलने लगी है। 15 अगस्त को पंखुड़ियों की बारिश से एक महीना पहले रूस पहला देश बना जिसने उसे आधिकारिक मान्यता दी। मास्को में इस्लामिक अमीरात ऑफ़ अफ़ग़ानिस्तान का झंडा फहराया गया। तालिबान ने 20 अगस्त को चीन और पाकिस्तान के साथ त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की। 2024 में संयुक्त अरब अमीरात ने तालिबानी राजदूत स्वीकार किया, फिर जनवरी में चीन ने। अब कम से कम 15 देशों के राजदूत काबुल में हैं, अधिकतर क्षेत्रीय। कारोबार भी बढ़ रहा है–चीन, तुर्की और ईरान की कंपनियाँ सौदे कर रही हैं। और फिर है प्रवासन संकट–जो अब सौदेबाज़ी का औज़ार है। समय के साथ हज़ारों अफ़ग़ान पड़ोसी और विकसित देशों में अवैध रूप से चले गए थे। 2023 में पाकिस्तान ने न केवल बिना पंजीकरण वाले अफ़ग़ानों को, बल्कि दस्तावेज़ रखने वालों को भी निकालना शुरू किया। अमेरिका ने हज़ारों अफ़ग़ानों से अस्थायी दर्जा छीन लिया। जर्मनी निर्वासन में तालिबानी राजनयिकों के साथ समन्वय कर रहा है। ताजिकिस्तान ने अफ़ग़ानों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। और एक राजनयिक के शब्दों में: तालिबान पश्चिम को शरणार्थी संकट का हल मुफ़्त में नहीं देगा।

भारत भी तालिबान के साथ सावधानी से चल रहा है–संवाद है, पर समर्थन नहीं। नई दिल्ली ने काबुल में तकनीकी मिशन फिर से खोला, खाद्यान्न और दवाएँ भेजीं, अटारी और चाबहार से अफ़ग़ान व्यापार की अनुमति दी। मई 2025 में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने तालिबान से पहली औपचारिक वार्ता की। मतलब व्यावहारिकता का संकेत। पर भारत अब भी औपचारिक मान्यता नहीं देता, वैश्विक सहमति के साथ खड़ा है और वह अपनी सुरक्षा की पहले चिंता करता हुआ है। अमेरिका भी–जो कभी तालिबान का सबसे कट्टर विरोधी था–अब चुपचाप चैनल खुले रखे हुए है। क़तर में साप्ताहिक बैठकें होती रहती है। आतंकवाद और नशीले पदार्थों को लेकर। हालाँकि राजनीतिक दबाव में वे भी अटक गईं है। पश्चिमी सरकारें भाषा व लहजे में कठोर हैं, पर व्यवहार में संतुलन साधे रहती हैं। तालिबान का असली विरोधाभास यही हैः उनकी ताक़त। 2021 में लगा था कि अर्थव्यवस्था में गिरावट से उनकी पकड़ ढह जाएगी। लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार घटाया, पोस्ता की खेती पर रोक लगाई और पूरे देश पर नियंत्रण मज़बूत किया। कोई विश्वसनीय विपक्ष नहीं–न भीतर, न बाहर। तालिबानी अब इतने आश्वस्त हैं कि सुरक्षा बल भी घटाने लगे हैं ताकि पैसे बचें। यह वही आंदोलन है जिसने बीस साल तक दुनिया की सबसे ताक़तवर सेना से लड़ा और बचा रहा, और अब उतनी ही आसानी से कूटनीति में भी टिक गया है। यही वह सवाल है जिससे दुनिया आँख चुरा रही है। जब सत्ता इतनी सुरक्षित है, तो क्यों वह औरतों के अधिकार या मानवाधिकारों की परवाह करे? और नारीवादी नारे, वैश्विक घोषणाओं, एनजीओ या अंतरराष्ट्रीय मंचों पर महिला नेता इतनी ताक़तवर तो नहीं हैं जो अफ़ग़ान मर्दों के सामने अपनी माँ–बहनों के लिए खड़ी हो सकें? यों हालात बिगड़ भी सकते हैं। ट्रंप की मानवीय मदद में कटौती, ईरान का शरणार्थियों पर दबाव, सूखे की मार आदि से। लेकिन दुनिया नज़रें फेरे हुए है।

श्रद्धा श्रीनाथ ने सीरीज द गेमः यू नेवर प्ले अलोन की दी अहम जानकारी

अभिनेत्री श्रद्धा श्रीनाथ की नई तमिल थ्रिलर सीरीज द गेमः यू नेवर प्ले अलोन नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। इस सीरीज में संतोष प्रताप, चंदिनी, श्यामा हरिनी, बाला हसन, सुबाष सेल्वम, विविया संत, धीरज और हेमा जैसे कलाकार नजर आएंगे। जानिए कहां देख सकेंगे सीरीज।

श्रद्धा श्रीनाथ ने अपने इंस्टाग्राम अकाअंट पर सीरीज द गेमः यू नेवर प्ले अलोन को लेकर एक अहम जानकारी दी है। श्रद्धा ने फिल्म का एक पोस्टर शेयर किया और कैप्शन में लिखा, वाच द गेम, 2 अक्टूबर को सीरीज, केवल नेटफ्लिक्स पर। वहीं श्रद्धा के कई फैंस ने भी उनकी इस आगामी सीरीज को लेकर उत्साह जताया है। एक फैन ने लिखा, आपके प्रदर्शन का इंतजार रहेगा प्रिय, एक और फैन ने लिखा, इंतजार नहीं कर सकता, वहीं कई फैंस ने श्रद्धा को सीरीज के लिए शुभकामनाएं दी हैं तो किसी ने उनकी पोस्ट पर फायर और दिल वाले इमोजी बरसाए हैं।

रिपोर्ट्स के अनुसार, निर्देशक राजेश एम. सेल्वा का कहना है कि यह सीरीज सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, बल्कि यह आज की दुनिया को दर्शाती है, जहां जिंदगी रहस्यों, धोखे और बदलते रिश्तों में उलझी है।

पारंपरिक साड़ी में राशि खन्ना का ग्लैमर अंदाज

साउथ सिनेमा की स्टार और बालीवुड में भी अपनी पहचान बना चुकी अभिनेत्री राशि खन्ना ने सोशल मीडिया पर अपनी ताजा तस्वीरें साझा की, जिसमें वह पारंपरिक साड़ी में बेहद आकर्षक नजर आ रही हैं। इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई इन तस्वीरों में उन्होंने सादगी और भारतीय परिधान की खूबसूरती से सबका ध्यान खींचा है। राशि ने खूबसूरत साड़ी पहनी है, जिसका चौड़ा गोल्डन बार्डर उनके लुक को और निखार रहा है। इस साड़ी के साथ उन्होंने गहरे गुलाबी रंग का ब्लाउज चुना, जिस पर गोल्डन लाइन और बाजुओं पर बारीक कढ़ाई की गई है। उनके गहनों की बात करें तो उन्होंने गले में नाजुक नेकलेस, कानों में चमकदार झुमके और हाथों में गोल्डन कंगन पहने हैं, जो उनके लुक को और भी शाही बना रहे हैं। मिनिमल मेकअप के साथ राशि ने सादगी भरा जूड़ा बनाया, जिसमें साइड में सफेद फूलों की गजरा उनकी सुंदरता को चार चांद लगा रही है। राशि ने इन तस्वीरों के साथ एक खूबसूरत कैप्शन लिखा, साड़ी की नजाकत, दिल की मुस्कान...कहना ही क्या। तस्वीरों में राशि अलग–अलग अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। पहली तस्वीर में वह दोनों हाथ पकड़कर कैमरे की ओर देखते हुए मुस्कुरा रही हैं।

भारत दौरे पर आई वेस्टइंडीज को लगा बड़ा झटका, दो तेज गेंदबाज सीरीज से बाहर

–जैसन होल्डर ने टीम में शामिल होने से किया इनकार

नईदिल्ली,दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारत दौरे पर आई वेस्टइंडीज टीम को अब तक दो बड़े झटके लग चुके हैं. टीम के दो तेज गेंदबाज चोट की वजह से पूरी सीरीज से बाहर हो गए जबकि रिप्लेसमेंट के तौर पर स्टार ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान जैसन होल्डर ने टीम में शामिल होने से मना कर दिया है.

तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ पीठ में चोट के कारण टेस्ट श्रृंखला से बाहर हो गए हैं. उन्होंने 40 टेस्ट मैचों में 33.46 की औसत से 124 विकेट लिए हैं और बल्ले से 770 रन बनाए हैं. इससे पहले तेज गेंदबाज शमर जोसेफ एक अज्ञात चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए थे. वेस्टइंडीज के क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि अल्जारी ने पीठ में चोट की शिकायत की,

जिसके बाद स्कैन से पता चला कि उनकी पीठ के निचले हिस्से में चोट लगी और उसमे सुधार के लिए कुछ समय की जरूरत है. इस वजह से वो सीरीज से बाहर हो गए हैं.

बोर्ड ने आगे बताया कि तेज गेंदबाज ऑलराउंडर जेसन होल्डर ने एक नियोजित चिकित्सा प्रक्रिया का हवाला देते हुए जोसेफ के प्रतिस्थापन के रूप में चयन से इनकार कर दिया. जिसकी वजह से अब अल्जारी की जगह जेडिया ब्लेड्स को टीम में शामिल किया गया है.

ब्लेड्स ने वेस्टइंडीज के लिए तीन वनडे और चार टी20 मैच खेले हैं और नेपाल के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज के बाद उनके वेस्टइंडीज के साथ जुड़ने की उम्मीद है.

भारत के खिलाफ टेस्ट मैचों से पहले वेस्टइंडीज को लगा यह दूसरा बड़ा झटका है. इससे पहले, तेज गेंदबाज शमर जोसेफ चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए थे और उनकी जगह नए तेज गेंदबाज ऑलराउंडर जोहान लेने को शामिल किया गया था. वेस्टइंडीज की टीम भारत के खिलाफ 2 अक्टूबर से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच खेलेगी. इसके बाद 10 अक्टूबर से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरा मैच खेला जाएगा.

सनी लियोनी ने की भारत की पहली एआई फीचर फिल्म कौर वर्सेज कोर का ऐलान

बालीवुड की फेमस एक्ट्रेस सनी लियोनी एक एआई फिल्म बना रही है, जिसमें वह लीड रोल में नजर आने वाली हैं. सनी की फिल्म का नाम कौर वर्सेज कोर है. इस फिल्म को पैपराजी एंटरटेनमेंट कंपनी के बैनर तले बनाया जा रहा है और मेकर्स ने इस फिल्म को भारत की पहली एआई फीच फिल्म कह रहे हैं. सनी इस फिल्म में डबल रोल में नजर आने वाली हैं. एक किरदार इंसानी सुपर हीरो का होगा और दूसरा एआई अवतार होगा. हाल ही में सनी ने एक इंटरव्यू में पूछा गया कि डायरेक्टर अनुराग कश्यप एआई सिनेमा को नापसंद करते हैं. इसपर उनका क्या कहना है. सनी ने इसका जवाब देते हुए बताया कि टेक्नोलाजी शक्ति है और अगर आपको किसी चीज के बारे में जानकारी है तो आप चीजों को समझेंगे. इस तरह का सिनेमा इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है. मुझे यकीन है कि इससे लोगों को ज्यादा नौकरियां मिलेंगी. साथ ही फिल्मों को एक अलग दिशा में लाया जा सकेगा. वहीं सनी लियोनी ने आगे बताया कि अगर अनुराग सर यहां बैठे होते तो मैं चाहती कि वो मेरी बात को समझें और शायद में उन्हें बदल पाती.

भारत के चैंपियन कप्तान सूर्यकुमार यादव का मुंबई में हुआ भव्य स्वागत, फैंस ने लहराया तिरंगा

नई दिल्ली, भारतीय क्रिकेट टीम ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम किया. टूर्नामेंट जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव को बिना ट्रॉफी के संतोष करना पड़ा, इसके साथ ही पोडियम से चैंपियन का बोर्ड भी हटा लिया गया. ये सब पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नक़वी की वजह से हुआ.

एशिया कप 2025 भारत और पाकिस्तान के बीच हुए विवादों की वजह से और ज्यादा चर्चाओं के घेरों में रहा, इस दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव मीडिया और तमाम क्रिकेट फैंस से काफी कुछ सुनने को मिला. लेकिन इस चैंपियन कप्तान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी टीम को पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में 5 विकेट से जीत दिला दी. अब एशिया के चैंपियन कप्तान सूर्यकुमार यादव भारत वापस आ गए हैं. जहां उनका मुंबई में भव्य स्वागत किया गया है. सूर्यकुमार यादव अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रहते हैं.

नेपाल ने शारजाह में रचा इतिहास, वेस्टइंडीज को दूसरे टी20 में हराकर जीती सीरीज

नईदिल्ली, नेपाल के लिए 29 सितंबर की तारीख यादगार बन गई, जब उन्होंने ने दो बार की वर्ल्ड टी20 चैंपियन वेस्टइंडीज को 90 रनों से हराकर तीन मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली. ये नेपाल की किसी पूर्ण सदस्य देश के खिलाफ पहली टी20 सीरीज जीत थी.

शारजाह में खेले गए दूसरे टी20 मैच में नेपाल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. आसिफ शेख के 47 गेंदों में 68 रन और संदीप जोरा के 39 गेंदों में 63 रनों की पारी की बदौलत नेपाल 20 ओवर में 6 विकेट पर 173 रन बनाने में कामयाब रहा. 174 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम बुरी तरह से लड़खड़ा गई. नेपाल के मोहम्मद आदिल के 4 विकेट और कुशल भुरटेल के 3 विकेट ने वेस्टइंडीज की पूरी टीम को 17.1 ओवर में केवल 83 रनों पर ही समेट दिया, जिसकी वजह से उनको एक सहयोगी टीम से 90 रनों के अंतर हार का सामना करना पड़ा.वेस्ट इंडीज की टीम सिर्फ 83 रनों पर ऑलआउट हो गई, जो पुरुषों के टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में किसी सहयोगी टीम के खिलाफ किसी पूर्ण सदस्य टीम का सबसे छोटा स्कोर है. इससे पहले यह रिकॉर्ड 2014 के टी20 विश्व कप में इंग्लैंड के नाम था जब वो नीदरलैंड के खिलाफ 88 रनों के स्कोर आउट हो गई थी.नेपाल 90 रनों से जीतकर पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में पूर्ण सदस्य टीम के खिलाफ सबसे बड़े अंतर से जीतने वाली सहयोगी टीम बन गई. इससे पहले ये रिकॉर्ड अफगानिस्तान के नाम था, जिन्होंने 2016 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 81 रनों से जीत दर्ज की थी.बता दें कि पहले मैच में नेपाल ने वेस्टइंडीज ने 19 रनों से मात दी थी, और दूसरे मैच में 90 रनों से मात दी है. तीसरा और आखिरी मैच 30 सितंबर को खेला जाएगा. प्लेयर ऑफ दि मैच चुने जाने वाले आसिफ शेख ने कहा कि क्रिकेट नेपाल के लिए एक त्योहार है, और हम अपने प्रशंसकों के आभारी हैं जो हर जगह हमारा समर्थन करते हैं. हम श्रृंखला 3–0 से समाप्त करना चाहते हैं.

संक्षिप्त समाचार

10 अक्टूबर तक प्रस्तुत करें प्रस्तावित कार्यों के एस्टीमेट : डीएम

रुद्रप्रयाग। जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने मंगलवार को एनआईसी सभागार में वित्तीय वर्ष 2025–26 में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मौके पर 10 अक्तूबर तक प्रस्तावित कार्यों के एस्टीमेट बनाने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने विभागवार कार्य योजनाओं, टेंडर प्रक्रिया, कार्यादेश तथा एसडीआरएफ व नॉन–एसडीआरएफ फंड्स से चल रहे कार्यों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने अपने–अपने कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी जिलाधिकारी को उपलब्ध कराई। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभाग निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि 10 अक्टूबर तक अन्य प्रस्तावित कार्यों के एस्टीमेट तैयार कर प्रस्तुत किए जाएं तथा उनसे संबंधित प्रक्रियाओं को भी समय पर पूर्ण किया जाए। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा, खंड विकास अधिकारी ऊखीमठ अनुष्का, प्रखंड विकास अधिकारी अगस्त्यमुनि सुरेश शाह, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार सहित लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, सिंचाई, जल संस्थान, लघु सिंचाई तथा विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे।

डीएम के निर्देशों पर हटाए गए इंटर कालेज मार्ग पर अनियोजित खड़े वाहन

रुद्रप्रयाग। राजकीय इंटर कालेज रुद्रप्रयाग मार्ग पर अनियोजित खड़े वाहनों को हटाने के लिए जिलाधिकारी ने पुलिस को निर्देश दिए हैं। स्थानीय लोगों और स्कूल के छात्र–छात्राओं की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। राइंका मोटर मार्ग पर निजी वाहन दोनों ओर अव्यवस्थित तरीके से खड़े किए गए हैं, जिससे सड़क पर जरूरी सेवा वाहनों जैसे 108 एम्बुलेंस और कूड़ा वाहन आदि की आवाजाही बाधित हो रही है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि कई बार निजी आवासों के सामने भी बड़े और छोटे वाहन पार्क कर दिये जाते हैं, जिससे घरों में प्रवेश करना मुश्किल हो जाता है। भाजपा के पूर्व महामंत्री अजय सेमवाल ने कहा कि अनियोजित पार्किंग से सड़क पर कई तरह की अव्यवस्थाएं पैदा हो रही हैं। राइंका के प्रधानाचार्य दिनेश जमलोकी ने बताया कि पूर्व में कई बार पुलिस और प्रशासन को इस समस्या के बारे में अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस बार जिलाधिकारी ने स्वयं पुलिस को सड़क व्यवस्था सुधारने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। इसके बाद पुलिस और नगर पालिका अनियोजित वाहनों को हटाने और बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए कार्यवाही कर रही है।

सैन्य सम्मान के साथ किया उप निरीक्षक संजय का अंतिम संस्कार

रुद्रप्रयाग। रतीय सेना की एसएसबी में तैनात उपनिरीक्षक संजय सिंह सजवाण का मंगलवार को पैतृक घाट तिलवाड़ा में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। इस दौरान सम्पूर्ण क्षेत्र में शोक की लहर है। जनपद रुद्रप्रयाग के ग्राम पंचायत सतेरा (सिल्ली) निवासी संजय सिंह सजवाण पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में तैनात थे। उनका कार्यक्षेत्र में ही आकस्मिक निधन हो गया। मंगलवार सुबह उनके शव को गांव लाया गया जिसके के बाद बड़ी संख्या में लोगों द्वारा तिलवाड़ा पैतृक घाट पर ले जाया गया जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। एसएसबी की टुकड़ी द्वारा उन्हें सैन्य सम्मान के साथ विदाई दी गई।

हाईवे पर धमका हाथी, घंटों लगा रहा जाम

कोटद्वार–दुगड्डा के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी है धमक

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वारः नजीबाबाद-बुआखाल राष्ट्रीय राजमार्ग कोटद्वार-दुगड्डा के मध्य हाथियों की धमक थमने का नाम नहीं ले रही। मंगलवार सुबह लालपुल के समीप अचानक हाथियों का झुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ गया। करीब एक घंटे तक झुंड हाईवे पर चहलकदमी करता रहा। जिसके कारण राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लगा हुआ था।

कोटद्वार–दुगड्डा के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर चहलकदमी करता हाथियों का झुंड

कोटद्वार- दुगड्डा के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिछले कई माह से हाथियों की चहलकदमी बढ़ती जा रही है। दअरसल, इन दिनो जंगल से निकल कर हाईवे पार कर हाथियों का झुंड खोह नदी तक पहुंचता है। इस दौरान यह झुंड कई घंटे तक हाईवे पर भी चहल-कदमी करता रहता है। मंगलवार को सुबह करीब आठ बजे लालपुल से करीब पांच सौ मीटर आगे मोड़ पर हाथियों का झुंड धमक गया। झुंड में हाथियों के बच्चे भी मौजूद थे, जिसके कारण हाथी सतर्कता के साथ हाईवे पर टहल रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग सेल्फी के चक्कर में हाथी के नजदीक तक जाने का प्रयास करने लगे, जिससे हाथी चिढ़ गया और वह लोगों के पीछे दौड़ने लगा। एक व्यक्ति तो बाइक छोड़ भागा। भागने के दौरान एक युवक सड़क पर भी गिर गया था। हालांकि, उसे कोई चोट नहीं आई। वाहन चालकों ने भी अपने वाहन सड़क किनारे रोक दिए व स्वयं वाहन से उतर सुरक्षित स्थान पर चले गए। करीब आधा घंटे बाद हाथियों का झुंड़ जंगल में लौट गया था। हाथी हाईवे पर खड़ी आपातकालीन सेवा 108 के आसपास भी चहलकदमी करते नजर आए। हालांकि, एंबुलेंस चालक व अन्य कर्मी पहले एंबुलेंस से दूर जा चुके थे।

अष्टमी पर मां दुर्गा के स्वरूप महागौरी की हुई पूजा

कोटद्वार–दुगड्डा के मध्य दुर्गा देवी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वारः नवरात्र की अष्टमी पर माता दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की गई। देवालयों व घरों में मां दुर्गा की विशेष पूजा-अर्चना की गई। लोगों ने घरों में कन्या पूजन भी किया। साथ ही मां दुर्गा से अपने घर व परिवार के लिए सुख शांति की कामना की।

मंगलवार को अष्टमी के मौके पर मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया था। श्रद्धालुओं ने प्रातःकाल स्नान कर मां महागौरी की विशेष पूजा-अर्चना की। मंदिरों व घरों में देवी दुर्गा के आठवें स्वरूप की आराधना हुई। कई श्रद्धालुओं ने घर में कन्याओं का पूजन किया। कन्याओं के पैर धोकर उन्हें तिलक लगाया गया। साथ ही विभिन्न प्रकार के उपहार भी दिए गए। महाष्टमी को लेकर देवालयों को फुल मालाओं से सजाया गया था। दुर्गा मंदिर, देवी मंदिर, बाला जी मंदिर, नव दुर्गा मंदिर सहित आसपास के देवालयों में सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। लोगों ने मां दुर्गा से अपनी घर-परिवार व समाज के लिए सुख–शांति की कामना की। कई देवालयों में महिलाओं की ओर से कीर्तन भी किया गया।

घायल बाली का करुण विलाप दर्शकों को भाया

जयन्त प्रतिनिधि।

पौड़ी रामलीला मंचन में भगवान राम द्वारा बाली को छिपकर बाण मारना और घायल बाली का करुण विलाप दर्शकों के दिल को छू गया। रामलीला मंचन के आठवें दिन रामलीला की शुरुआत मां काली की वंदना मां माता कालिका से हुई।

भाव नृत्य में अदिति, खुशी,कशिश ने शानदार प्रस्तुति दी। रामलीला में हनुमान राम संवाद, राम सुग्रीव मित्रता, बाली सुग्रीव युद्ध, बाली मरण, तारा विलाप, अंगद का राजतिलक, राम लक्ष्मण संवाद, सुग्रीव लक्ष्मण संवाद, राम का हनुमान को अंगूठी देना और हनुमान का सीता की खोज में जाना का मंचन किया गया। बाली सुग्रीव के लिए पार्श्व गायन आशुतोष नैथानी और इंद्रमोहन चमोली जबकि तारा के लिए पार्श्व गायन सोनिका गैरोला ने किया। इससे पूर्व मुख्य अतिथि जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने रामलीला के आयोजन को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि नागरिकों द्वारा एकजुट होकर आयोजन करना और उसे रोचक बनाना कबीलेतारिफ है। कहा कि पौराणिक धरोहरों के लिए सफलता पूर्वक आयोजन होना ही उसकी सफलता को दर्शाता है।

विशिष्ठ अतिथि के रूप में इतिहासकार डा. योगेश धस्माना ने रामलीला के आयोजन के लिए आयोजन समिति की सराहना की। कहा कि उनके पास पौड़ी रामलीला से संबंधित जो भी दस्तावेज हैं उसे वे रामलीला के संग्रहालय हेतु देंगे। इस मौके पर रामलीला समिति के अध्यक्ष उमाचरण बड़थ्वाल, आशीष नेगी, सुरेन्द्र रमोला, दीपक बिष्ट, विनीता नेगी, शिवानी नेगी, सुहानी नौटियाल आदि शामिल रहे।

आरपी स्कूल ने आरसीडी को हराया

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वारः शहीद मुकेश विष्ट की स्मृति में अंतर विद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किय गय। प्रतियोगिता का शुभारंभ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर संजू सैमसन व कोच यशपाल ने किया। मुख्यंतिथि महादेव क्रिकेट अकादमी के संचालक प्रेम सिंह ने खिलाड़ियों के जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। पहला मुकाबला बाल भारती और जीआईसी कुंबिचौड़ के मध्य 1-1 की बराबरी पर रहा। दोनों टीमों को एक एक अंक मिले, दूसरें मुकाबले में आरपी स्कूल ने आरसीडी को 1-0 से हराया। तीसरा लीग मुकाबला डीएवी ओर एवएन के मध्य 1-1 की बराबरी पर छूटा। दोनों टीमों को एक एक अंक मिला और अंतिम लीग मैच एमकेवी एन ने दिव्यांशु नेगी के शानदार फ्री किक गोल की बदौलत 1-0 से बलूनी पब्लिक स्कूल को परस्त कर 3 अंक अर्जित कर ग्रुप में शीर्ष का स्थान पाया है। इस मौके पर इंद्र रावत, अमन बलूनी और शुभम रावत ने निर्णायकों की भूमिका निभाई।

अधिवक्ताओं ने शहर में निकाली आक्रोश रैली

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वारः देवी मंदिर की संपत्ति को सीज करने के विरोध में उपजिलाधिकारी के स्थानांतरण को लेकर धरना दे रहे अधिवक्ताओं ने मंगलवार को शहर में आक्रोश रैली निकाली। कहा कि अधिवक्ताओं की अनदेखी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

देवी मंदिर की संपत्ति सीज करने के विरोध में अधिवक्ता पिछले कई दिनों से तहसील में धरना दे रहे हैं। मंगलवार को कोटद्वार बार एसोसिशन के अध्यक्ष नागेंद्र प्रसाद जोशी के नेतृत्व में बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ता तहसील परिसर में एकत्र हुए। जहां वे बाइक व स्कूटी पर सवार होकर नारेबाजी करते हुए झंडाचौक, नजीबाबाद चौक, देवी रोड, सिम्मलचौड़, पदमपुर, सिताबपुर, गैरेज रोड होते हुए पुनः तहसील परिसर में पहुंचे।

रैली के समापन पर आयोजित सभा में अधिवक्ताओं ने उपजिलाधिकारी की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाए। आरोप लगाया कि पत्रावलियों के निस्तारण में भी पारदर्शिता नहीं अपनाई जा रही है। कहा कि अधिवक्ता विगत कई दिनों से तहसील परिसर में धरना दे रहे हैं। लेकिन, शासन–प्रशासन आंदोलन को अनदेखी कर रहा है। रैली में एसोसिएशन से जुड़े कई अधिवक्ता मौजूद रहे।

उपजिलाधिकारी के स्थानांतरण की मांग को लेकर कोटद्वार में बाइक रैली निकालते अधिवक्ता

पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच पर भाजपा ने जताई खुशी

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वारः मुख्यमंत्री की ओर से यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति देने पर भारतीय जनता पार्टी ने खुशी व्यक्त की है। कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री युवाओं के बेहतर भविष्य को लेकर गंभीरता से कार्य कर रहे हैं।

मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ता हाथों में तख्ती लेकर झंडाचौक में पहुंचे। वक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से करवाने की संस्तुति कर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की भावनाओं का सम्मान किया है।

मुख्यमंत्री स्वयं युवाओं के बीच पहुंचे और उन्हें न्याय का आश्वासन दिया। कहा कि भाजपा सरकार युवाओं के हितों को लेकर कार्य कर रही है। परीक्षाओं को नकल मुक्त बनाने के लिए सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। सीबीआई जांच का निर्णय भी पारदर्शी परीक्षाओं को संपन्न करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष राज गौरव नौटियाल, जिला उपाध्यक्ष मोहन सिंह नेगी, विजयानंद पोखरियाल, हरि सिंह पुण्डीर, जिला महामंत्री सुरेंद्र आर्य, नगर मंडल अध्यक्ष विकास दीप मित्तल, भाबर मण्डल अध्यक्ष आशीष रावत, सुखरो मण्डल अध्यक्ष प्रेमा खंतवाल, जिला कार्यालय प्रभारी मनमोहन द्विवेदी, जिला सह सोशियल मीडिया प्रभारी उजागर पुण्डीर, मनबर गुसाईं, पार्षद अमित नेगी, रजनीश बेबनी, अभिषेक नेगी आदि मौजूद रहे।

पेपर लीक की घटना की सीबीआई जांच की संस्तुति होने पर खुशी व्यक्त करते भाजपा कार्यकर्ता

कर्णप्रयाग में थाना दिवस का आयोजन

चमोली। मंगलवार को कोतवाली कर्णप्रयाग में थाना दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर फरियादी ने पुलिस अधिकारियों को अपनी समस्याएं बताईं। प्रभारी निरीक्षक राकेश भट्ट ने फरियादियों को धैर्यपूर्वक सुना और कुछ मामलों का मौके पर ही त्वरित समाधान किया। साथ ही कुछ मामलों को संबंधित विभागों/अधिकारी के पास आगे निपटान के लिए भेजा गया। इस दौरान फरियादियों ने राहगीरों या वाहन चालकों से जुड़ी शिकायतें, तो कहीं सरकारी योजनाओं और स्थानीय समस्याओं पर भी सवाल। प्रभारी निरीक्षक ने सभी को आश्वासन दिया कि जनता की शिकायतों का निपटान तेज और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान पुलिसकर्मियों का उत्साह और फरियादियों का सहयोग देखकर साफ हो गया कि जब जनता और पुलिस साथ मिलकर काम करें,

कूड़ा डंप करने पर जताया रोष

जयन्त प्रतिनिधि।

पौड़ीः शहर के न्यू विकास कॉलोनी श्रीनगर रोड के निवासियों ने तिमली बैंड पर कूड़ा निस्तारण किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। आक्रोशित लोगों ने डीएम से मुलाकात कर जल्द यहां पर कूड़ा निस्तारण नहीं किए जाने की मांग उठाई है।

लोगों ने आरोप लगाया कि पिछले लंबे समय से समस्या के हल की मांग की जा रही है, लेकिन समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कहा कि 15 दिनों के भीतर समस्या का हल नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। शहर में पालिका के पास टंचिंग ग्राउंड की व्यवस्था नहीं होने के चलते तिमली बैंड पर कूड़े का निस्तारण किया जाता है। डीएम से मिलने आए न्यू विकास कॉलोनी श्रीनगर रोड के स्थानीय लोगों ने कहा कि पिछले लंबे समय से नियम विरुद्ध पालिका यहां पर कूड़े का डंप कर रही है। कहा कि सारा कूडा सड़कर मोहल्ले में गंदगी फैला रहा है। यहां पर कूड़ा डंप किए जाने से हवा के साथ गंदगी आने से मोहल्लेवासियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहा कि इस रास्ते से एमआईसी व सरस्वती विद्या मंदिर तिमली जाने वाले छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि गर्मियों के समय इस कूड़े में आग लगने से भी परेशानियां होती है। कहा कि कई बार प्रशासन को समस्या से अवगत कराने के बाद भी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश बना हुआ है। आक्रोशित लोगों ने 15 दिन के भीतर उचित कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इस मौके पर सभासद संगीता नेगी, युद्धवीर सिंह रावत, सुलोचना नेगी, गुडडी देवी, विनोद सिंह, जगमोहन भंडारी, किरन, नीलम, सुषमा आदि शामिल थे।

मानपुर में गुलदार की धमक, दहशत में लोग

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वारः नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत मानपुर क्षेत्र में गुलदार की धमक थमने का नाम नहीं ले रही। सोमवार रात गुलदार एक घर के बाहर बैठा हुआ दिखई दिया। ऐसे में लोगों में दहशत बनी हुई है।

जंगल से सटे इलाकों में गुलदार की धमक थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन गुलदार मोहल्लों में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल, वर्तमान में वर्षाकाल में जंगल से सटे इलाकों में झाडियां बढ़ चुकी हैं। यही कारण है कि गुलदार जंगल की सीमा को छोड़ आबादी तक पहुंच रहा है। कुछ दिन पूर्व नंदपुर में गणेश स्थल के समीप बैठे एक गुलदार का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल हुआ। साथ ही प्रतिदिन अलग-अलग वार्डों में गली व मोहल्लों में घूम रहे गुलदार के वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। आबादी के बीच धमक रहे गुलदार से वार्डवासियों में खौफ बना हुआ है। मानपुर–शिवपुर, नंदपुर, मवाकोट, निंबूचौड़ व मवाकोट क्षेत्र में शाम ढलते ही लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। सबसे अधिक खतरा छोटे बच्चों व बुजुर्गों को बना हुआ है। मानपुर निवासी पीतांबरी भारद्वाज ने बताया कि रात करीब तीन बजे वह घर से बाहर निकलती तो उन्होंने देखा कि गोली बिष्ट के घर के बाहर गुलदार बैठा हुआ है। उसी के समीप उनकी गौशाला भी थी। कुछ देर बैठने के बाद गुलदार वहां से चला गया।

मानपुर मोहल्ले में घूमता गुलदार

शिविर में 35 लोगों ने किया रक्तदान

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वारः सेवा पखवाड़ा के तहत भारतीय जनता पार्टी की ओर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 35 कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने रक्तदान किया। साथ ही आमजन को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। मंगलवार को राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ महापौर शैलेंद्र सिंह रावत ने कहा। उन्होंने आमजन को रक्तदान के महत्व के बारे में बताया। रक्तदान शिविर में पहुंचे रक्तदाताओं का रजिस्ट्रेशन करवाया गया, जिसमें 35 लोगों ने रक्तदान किया। महापौर शैलेंद्र सिंह रावत ने कहा कि रक्तदान करने से कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है, कहा कि रक्तदान करने से शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। कहा कि स्वस्थ मनुष्य को हर तीन माह बाद रक्तदान करना चाहिए। इस मौके पर आकाश दीप मित्तल, आदित्य त्रिपाठी, आशीष सतीजा, नकुल प्रजापति, भूपेंद्र सिंह, लक्ष्मी रावत, मुकेश अग्रवाल, प्रीति कुलाश्री, अंकित अग्रवाल, राजेंद्र जजेडी, आशा ध्यानी, किरन डोबरियाल, निशा जुयाल, राशि गुरंग मौजूद रहे।

कोटद्वार बेस अस्पताल में आयोजित शिविर में रक्तदान करते कार्यकर्ता व पदाधिकारी

उत्तर रेलवे

निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रवर मण्डल अभियन्ता/II/मुरादाबाद द्वारा निम्नलिखित ई–टेंडर संख्या के अंतर्गत आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा की कीमत तथा धरोहर राशि का भुगतान निविदादाता द्वारा केवल IREPS पोर्टल पर उपलब्ध नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर चेक डिपॉजिट रसीद आदि स्वीकार्य नहीं होंगे। टेंडर से संबंधित अन्य जानकारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर देखें।

टेंडर संख्या/तिथि	195-DRM-MB-25-26 Date: 30.09.2025	196-DRM-MB-25-26 Date: 30.09.2025	197-DRM-MB-25-26 Date: 30.09.2025	198-DRM-MB-25-26 Date: 30.09.2025
कार्य का नाम	Heavy Repair to Road Surface, Speed Breaker and Other Misc. Work at L.Xing in the Section of ADEN-II-HRI	Heavy repair of staff quarter with provision of standard kitchen, bathroom, toilet and plastering flooring, doors windows, repair work at station in the section of SSE/W/SPC Under ADEN/II/HRI	Supplying and spreading 10000 cum of 65 mm gauge machine crushed stone ballast on cess in CN-BLM and BLM-SPC section under Sr. DEN-II/MB.	Miscellaneous Bridge work in the Section of ADEN/HRI/II under DEN/II/MB.
टेंडर क्लोजिंग दिनांक/समय	24.10.2025/16:00	24.10.2025/16:00	24.10.2025/16:00	24.10.2025/16:00
अनुमानित लागत(₹)	₹59,61,702.47	₹69,83,556.08	₹1,96,62,700.00	₹94,90,562.20
धरोहर राशि(₹)	₹1,19,200.00	₹1,39,700.00	₹2,48,300.00	₹1,90,000.00
बिडिंग आरंभ तिथि	10.10.2025	10.10.2025	10.10.2025	10.10.2025
ऑफर की वैधता	60 दिन	60 दिन	60 दिन	60 दिन
कार्य पूर्ण करने की अवधि	06 माह	06 माह	06 माह	12 माह

टेंडर नं.: 74/W/2/3/WA/Publication दिनांक: 30.09.2025 3025/2025

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

धूमधाम के साथ मनाया सम्मेलन

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वारः शताब्दी वर्ष ढ्योली डांडा शिल्पकार सम्मेलन रेमजे इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में बड़े धूमधमा के साथ ढ्योली डांडा शिल्पकार सम्मेलन मनाया गया। ऐतिहासिक धौलीडांडा शताब्दी समारोह अल्मोड़ा में उत्तराखंड गौरव लोक गायिका कमला देवी की प्रस्तुति ने सबको मनमोहित कर आकर्षित किया। इस अवसर पर ढ्योलीडांडा शिल्पकार सम्मेलन 1925 के आयोजको के संघर्ष और बलिदान को याद किया गया और उन्हें श्रृद्धा सुमन अर्पित किये।

उत्तराखण्ड शिल्पकार समाज का यह ऐतिहासिक ढ्योली डांडा सम्मेलन 24 व 25 सितम्बर 1925 को रायबहादुर मुंशी हरिप्रसाद टम्टा के द्वारा उत्तराखंड के सम्पूर्ण शिल्पकार समाज को एकत्रित करके सामाजिक चेतना के लिए 21 प्रस्ताव के माध्यम से शिल्पकार समाज की एकता का महासम्मेलन आयोजित किया गया था। जिसमें उस समय उत्तराखंड के दस हजार लोग उपस्थित हुए थे इस ऐतिहासिक शताब्दी वर्ष सम्मेलन जो 28 सितंबर 2025 को अल्मोड़ा में सम्पन्न हुआ इस पावन अवसर पर ''उत्तराखंड अंबेडकर रायबहादुर हरिप्रसाद टम्टा'' के व्यक्तित्व पर लेखक मनवर लाल भारती प्रधानाचार्य इण्टर कालेज पोखरी अजमीर विकास खण्ड दुगड्डा जनपद पौड़ी द्वारा उनके जीवन पर स्मारिका प्रकाशित पुस्तक जिसका विमोचन केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन एवं सड़क राजमार्ग मंत्री अजय टम्टा, पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा, उत्तराखण्ड एस.सी.एस.टी. आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार, कार्यक्रम संयोजक वंचित स्वर समाचार पत्र के सम्पादक संजय टम्टा, संरक्षक दयाराम शंकर एवं उत्तराखंड के 13 जिलों से लगभग 2000 लोगों की उपस्थिति में पुस्तक का विमोचन हुआ। पुस्तक में रायबहादुर मुंशी हरीप्रसाद टम्टा के जीवन पर आधारित उनके अनेक सामाजिक कार्यों का ऐतिहासिक दस्तावेज जो उनकी जीवन यात्रा से सम्बन्धित पुस्तकें वर्णित है, यह पुस्तक लेखक मनवर लाल भारती ने अपने हस्त लेखन से प्रकाशित की है जो इस शताब्दी वर्ष का आकर्षण रही। इस कार्यक्रम में छोलिया नृत्य आकर्षण रहा जो चौथन पाटा से लेकर के रेमजे इंटर कॉलेज अल्मोड़ा तक झांकी के रूप आकर्षण का केंद्र रहा। इस अवसर पर बहुत सारे देश–विदेश के लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए उपस्थित हुए थे इस अवसर पर महेश टम्टा द्वारा भी रायबहादुर मुंशी हरीप्रसाद टम्टा एक महानायक नाम से पुस्तक प्रकाशित हुई विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उनके जीवन को रेखांकित किया गया तथा हरिप्रसाद टम्टा द्वारा जो समता अखबार अल्मोड़ा से होने के कृष्ण प्रेस से प्रकाशित होती थी समता अखबार का प्रशासन भी पुनः प्रारंभ करने का इस ऐतिहासिक पर्व पर संकल्प दोहराया गया जिसका दायित्व पत्रकार प्रकाश चन्द्र को सौंपा गया जो निरंतर आने वाले समय में सामाजिक चेतना के रूप में कार्य करेगा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों में रघुनाथ लाल कार्य सेवानिवृत्त अपर निदेशक देहरादून, विकास आर्य अध्यक्ष शैलशिल्पी विकास संगठन उत्तराखंड, केसी राम निराला, सतीश प्रकाश, अनूप कुमार पाठक, सुरेंद्र प्रसाद, कल्पेश्वरी भारती, रिंगोड़ी आदि कार्यक्रम में उपस्थित रहे

कार्यालय- नगर पंचायत थलीसैंण, पौड़ी गढ़वाल

नगर पंचायत थलीसैण-प्रस्तावित उपविधि

पत्रांक/218/न0पं0/ठो0क0प्र0 / उपनियमावली / प्रका0 / 2025-26- नगर पालिका अधिनियम की धारा 298 झ (घ) के एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (29) की धारा 3, 6 एवं 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी ठोस कचरा प्रबन्धन नियमावली 2016 के नियम 15 (ङ), 15 (च) एवं 15 (यचं) के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग में नगर पंचायत थलीसैण द्वारा बनाए गए निम्नलिखित ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए उपविधियों को अपने क्षेत्राधिकार में नगर पंचायत की मा0 बोर्ड की बैठक दिनांक 03.05.2025 में प्रस्ताव सं0-15 के माध्यम से रखा गया एवं आपत्ति एवं सुझाव के प्रकाशन हेतु सर्वसम्मति से पारित हुआ।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ जिस व्यक्ति / दुकान / प्रतिष्ठान / कार्यालय आदि को इस उपविधि का प्रभाव पड़ता हो वह अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत थलीसैण जिला-पौड़ी गढ़वाल को प्रेषित की जा सकती है। वादमियाद प्राप्त आपत्तियों एंव सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

अध्याय–1
सामान्य

1 संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीखः

(1) ये उप-नियम नगर पंचायत थलीसैण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उप-नियम, 2025 कहलाएंगे।

(2) ये उप-नियम नगर पंचायत के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. ये उप-नियम नगर पंचायत थलीसैण की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

3. परिभाषाएं

(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उप नियमों में निम्नाकित परिभाषाएं लागू हैः –

(क) बल्क उद्यान और बागवान कचरा" का अर्थ हैं, उघानो, बागो आदि से उत्सर्जित बल्क कचरा, जिसमें घास कतरन, खरपतवार, कार्बनयुक्त काष्ठ ब्राउन सामग्री जैसे पेड़ों की छटाई से उत्पन्न कचरा, पेड़ो की कटिंग, टहनियां, लकडी की कतरन, भूसा, सूखी पत्तियां, पेडों की छटाई आदि से उत्पन्न कचरा, जो दैनिक जैव अपघटीय कचरे के संकलन में समायोजित नहीं किया जासकता हैं।

(ख) "बल्क कचरा उत्सर्जन का अर्थ हैं कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 (जिसे बाद में यहा एस.डब्ल्यू.एम नियम कहा जाएगा) के नियम 3 (1) (8) के अंतर्गत परिभाषित बल्क कचरा उत्सर्जक और सम्बद्ध वार्ड कार्यालय के सहायक आयुक्त या उससे वरिष्ठ अधिकारीयों द्वारा अधिसूचित ठोस कचरा उत्सर्जक;

(ग) संग्रह" का अर्थ है, कचरा उत्सर्जन के स्रोत से ठोस कचरे को उठाना और संग्रहण बिंदुओं या किसी अन्य स्थान तक पहुचाना.

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ हैं नगर पालिका का अध्यक्ष, अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति।

(ड) "निर्माण एवं विध्वंस कचरा का वही अर्थ होगा, जो निर्माण एवं विध्वंस कचरा नियम, 2016 नियम 3 (1) (ग) में परिभाषित किया गया हैं।

(च) "स्वच्छ क्षेत्र" का अर्थ है, किसी परिसर के सामने और चारो ओर या निकटवर्ती फुटपाथ तक विस्तारित स्वच्छ सार्वजनिक स्थल, जिसमें नाली, फुटपाथ और पटरी के किनारे शामिल हैं, जिनका रख-रखाव इन उपनियमों के अर्न्तगत किया जाना हैं।

(छ) "सामुदायिक कूड़ा घर (ढलाव)" का अर्थ है, नगर पंचायत द्वारा स्थापित और संचालित अथवा एक या अधिक परिसरों के मालिकों और / या अधिभोगियों द्वारा मिल कर सड़क किनारे / ऐसे मालिकों / अधिभोगियों के किसी एक परिसर में अथवा समक्ष अधिकारी द्वारा अधिकृत उनके साझापरिसर में पृथक्कृत ठोस कचरे के संग्रहण के लिए स्थापित और संचालित कोई संग्रह केंद्र;

(ज) "कंटेनराइज्ड हैड कार्ट" का अर्थ है, ठोस कचरे के बिन्दु दर बिन्दु संग्रह हेतु नगर पंचायत या उसके द्वारा नियुक्त ऐजेंसी / एजेंट द्वारा प्रदत्त ठेला.

(झ) "सुपुर्दगी का अर्थ है किसी भी श्रेणी के ठोस कचरे को नगर पालिका के वर्कर या ऐसे कचरे की सुपुर्दगी के लिए नगर पालिका द्वारा नियुक्त, प्राधिकृत या लाइसेंस प्रदत्त व्यक्ति को सौपना अथवा उसे नगर पंचायत या नगर पंचायत द्वारा अधिकृत लाइसेंस प्रदत्त एजेंसी द्वारा प्रदान किए गये वाहन में डालना.

(ञ) "ई-कचरा" का अर्थ वही होगा, जो ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 के नियम 3 (1) (आर) में निर्दिष्ट किया गया हैं.

(ट) "फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एफसीटीएस)" का अर्थ है, एक ऊर्जा चालित मशीन, जिसका डिजाइन बिखरे हुए ठोस कचरे को कम्पैट करने के लिए किया गया है और प्रचालन के समय स्थिर रहती हैं। प्रचालन के समय कम्पैक्टर मोबाईल भी हो सकती हैं, जिसे मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन(एमटीएस) कहा जा सकता है;

(ठ) "कूड़ा-कचरा" का अर्थ है, सभी प्रकार का कूडा और उसमें कोई भी ऐसा कचरा पदार्थ शामिल जिसे फेकना अथवा संग्रह करना इन उप-नियमों के अंतर्गत प्रतिबंधित है और ऐसा करने से किसी व्यक्ति, जीव जंतु को परेशानी होने या पर्यावरण अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रति खतरा पहुंचाने की आशंका हो ।

(ड) "गंदगी फैलाने का अर्थ है, किसी ऐसी बस्ती में गंदगी उत्सर्जित करना, डालना, दबाना अथवा तत्संबंधी अनुमति देना, जहां वह गिरती, ढलती, बहती, धुल कर, रिस कर अथवा किस अन्य तरीके से पहुंचती हो अथवा गंदगी के उत्सर्जित होने, बह कर आने, धुल कर आने या अन्य किसी तरह से खुले या सार्वजनिक स्थल पर आने की आशंका हो।

(ढ) 'स्वामी' का अर्थ है, जो किसी भवन, या भूमि या किसी भाग के मालिक के रुप में अधिकारों का इस्तेमाल करता हैं.

(ण) "अधिभोगी / पट्टेदार" का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का अधिभोगी / पट्टेदार हो, इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल है, जो तत्समय किसी प्रयोजन के लिएकिसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का इस्तेमाल कर रहा हैं।

(प) पैलेटाइजेशन' का अर्थ है, एक प्रक्रिया, जिसमें पैलेट तैयार की जाती हैं, जो ठोस कचरे से बने छोटे क्यूब अथवा सिलिंडरीकल-टुकडे होते हैं; और उनके ईधन पैलेट्स भी शामिल होते हैं, जिन्हे रिफ्यूज डेराइब्ड ईधन कहा जाता हैं।

(फ) "निर्धारित" का अर्थ है, एसडब्यूएम नियमो और / या इन उप नियमों द्वारा निर्धारित।

(ब) "सार्वजनिक स्थल का अर्थ है, कोई ऐसा स्थान, जो आम लोगों के इस्तेमाल और मनोरंजन के लिए सहज सुलभ हैं, भले ही वह वास्तव में लोगों द्वारा इस्तेमाल या उपभोग किया जा रहा हो या नही.

(भ) * संग्रहण" का अर्थ है; ठोस कचरे को अस्थायी तौर पर इस तरह से संग्रह करना जिससे गंदगी न फैले और मच्छर आदि कीटों, आवारा पशुओं और अत्यधिक बदबू का प्रकोप रोका जा सके.

(म) "सैनेटरी वर्कर " का अर्थ है, नगर पंचायत के इलाकों में ठोस कचरा एकत्र करने या हटाने अथवा नालियो को साफ करने के लिये नगर पालिका / एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति.

(य) "शेड्यूल" का अर्थ है, इन उप नियमों से सम्बद्ध शेड्यूल.

(र) इस्तेमालकर्ता शुल्क / प्रभारी का अर्थ है, नगर पंचायत द्वारा समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेष के जरिए कचरा उत्सर्जक पर लगाया गया शुल्क या प्रभार, ताकि ठोस कचरा संग्रह, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान सेवाओं की आंशिक अथवा पूर्ण लागत कुंवर की जा सकें;

(ल) "खाली प्लाट " का अर्थ है, प्राइवेट पार्टी / व्यक्ति / सरकारी एजेंसी से सम्बद्ध कोई ऐसी भूमि या खुला स्थल, जिस पर किसी का कब्जा न हो.

(2) यहां प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किए शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा, जो ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 में अभिप्रेत होगा।

अध्याय-2
ठोस कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

4. ठोस कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

(i) सभी कचरा उत्सर्जको के लिए अनिवार्य होगा कि वे उनके स्वयं के स्थलो से उत्सर्जित होने वाले ठोस कचरे को नियमित रुप से पृथक करें और उसे संगृहीत करें। यह पृथक्करण मुख्य रुप से निम्नांकित 3 वर्गों में किया जायेगाः–

(क) गैर-जैव अपघटीय या सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा और तीनो श्रेणियों के कचरे को कवर्ड कचरा डिब्बो में रखा जाएगा तथा समय समय पर जारी नगर पंचायत के निर्देशों के अनुसार पृथ्थकृत कचरे को निर्दिष्ट कचरासंग्रहकर्ताओं को सोपेगा ।

(ii) प्रत्येक बल्क कचरा उत्सर्जक के लिए अनिवार्य होगा कि वह स्वयं के स्थलों पर उज्सर्जित ठोस कचरे को पृथक करे और उसे संगृहीत करे निम्नाकित 3 वर्गों मेंः–

(क) गैर-जैव अपघटीय या खुष्क कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) उपयुक्त कूड़ेदानों में जोखिमपूर्ण कचरा, जैविक (गीला) कचरे को अपने परिसर में प्रोसेस कर कम्पोस्ट या बायोगैस आदि तैयार करना एवं पृथक्कृत कचरे को अधिकृत कचरा संग्रहण एंजेसी जरिए अधिकृत कचरा प्रसंस्करण अथवा निपटान केंद्रो या संग्रहण केंद्रों को सौपेगा और उसके लिए को नगर पंचायत द्वारा समय समय पर निर्धारित दुलाई शुल्कों का भुगतान अधिकृत कचरा संग्रह एजेंसी को करेगा।

(iii) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए कूड़ेदानों का रंग इस प्रकार होगाः –

हराः- जैव अपघटीय कचरे के लिए;

नीलाः- गैर–जैव अपघटीय या खुष्क कचरे के लिए;

कालाः- घरेलु जोखिम पूर्ण कचरे के लिए

(iv) सभी निवासी कल्याण और बाजार संगठन, नगर पंचायत के भागीदारी से, यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा स्त्रोत पर कचरे का पृथक्करण किया जाए, पृथक किए गए ठोस कचरे को अलग-अलग डिब्बों में संगृहीत किया जाए और फिर से इस्तेमाल करने वालों को सौपी जाएं। जैव अपघटीय कचरें की प्रोसेंसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथा संभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे कचरे को नगर पालिका द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(v) 5000 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र कब्जा रखने वाले सभी द्वारबंद समुदाय तथा संस्थान नगर पंचायत की भागीदारी के साथ, सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण हो, पृथक किए गए कचरे को अलग अलग डिब्बों में रखेंगे और पुनः उपयोग आने वाली सामग्री को अधिकृत कूड़ा संग्रहकर्ताओं या अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वाले को सौपेगें। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगर पंचायत द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(vi) सभी होटल और रेस्त्रां, नगर पंचायत के भागीदारी से, कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे, पृथक किए गए गये ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बे में संग्रहीत करेगें और फिर से इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री अधिकृत कचरा संग्रहकर्ताओं अथवा अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वालो को सौपेगे। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगर पंचायत द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(vii) कोई व्यक्ति गैर-लाइसेंसी स्थान पर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा, जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति एकत्र ऐसा करने के लिए यह जरुरी होगा कि अनुसूची में निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क का भुगतान करते हुए नगर पंचायत को कम से कम 3 कार्य दिवस अग्रिम लिखित जानकारी देनी होगी और ऐसा व्यक्ति या आयोजक यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस कचरे को स्त्रोत पर अलग अलग किया जाए, ताकि नगर पंचायत द्वारा निर्धारित संग्रहकर्ता या एजेंसी को सौपा जा सकें।

(viii) सेनिटरी उत्पादों से उत्सर्जित कचरे को तत्संबंधी विनिर्माताओं या ब्रॉड मालिकों द्वारा प्रदान किए गए पाउचों अथवा अखबारों या उपयुक्त जैव अपघटीय संलेपन सामग्री में सुरक्षित तरीके से संलेपित किया जाए और उसे गैर-जैव अपघटीय या खुक कचरे के लिए बनाए गए कूड़ेदान में रखा जाना चाहिए।

(ix) प्रत्येक गली विक्रेता अपने क्रियाकलाप के दौरान उत्सर्जित होने वाली खाद्य सामग्री, निपटान योग्य प्लेटें, कप, डिब्बे, रैपर्स, नारियल के खोल, बचा खुचा भोजन, सब्जियां, फल आदि को अलग अलग करके उपयुक्त कूड़ेदानो में संग्रहित करेगा और उसे नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित डिपो या कंटेनर या वाहन को सौपेगा।

(x) उद्यान और बागवानी के कचरा उत्सर्जक अपने परिसर में उत्सर्जित कचरे को अलग से एकत्र करेंगे और समय समय पर नगर पालिका के निर्देशों के अनुसार उसका निपटान करेंगे।

(xi) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्रत्येक कचरा उत्सर्जट द्वारा स्टोर किया जाएगा और उसे नगर पंचायत या उसके द्वारा अथवा उत्तराखण्ड सरकार या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा ऐसे कचरे का संग्रह के लिए साप्ताहिक / समय समय पर उपलब्ध कराए गए वाहन तक पहुचाया जाएगा अथवा ऐसे कचरे को उत्तर-खण्ड सरकार या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित तरीके से सेनिपटान के लिए निर्दिष्ट कचरा संग्रह केंद्र तक पहुंचाया जाएगा।"

(xii) निर्माण कार्यों और भवनों को ढहाए जाने से उत्सर्जित कचरा, निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार अलग से एकत्र और निपटान किया जायेगा।

(xiii) बायो मेडिकल कचरा, ई-कचरा, जोखिमपूर्ण रासायनिक एवं औद्योगिक कचरा बिना उपचारित किए ठोस कचरे में मिश्रित नहीं किया जाएगा। ऐसे कचरे का निपटान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए तत्संबंधी नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(xiv) निर्दिष्ट बूचडखानों और बाजारों को छोड़ कर अन्य परिसरों के प्रत्येक ऐसे मालिक / कब्जाधारी, 'जो किसी वाणिज्यिक गतिविधि के परिणाम स्वरुप पोल्ट्री, मछली और पशुवध संबंधीकचरा उत्सर्जित करते हो, उन्हें ऐसे कचरे को अलग से बंद कंटेनर में स्वास्थ्यकर स्थिति में एकत्र करना होगा और रोजमर्रा के आधार पर निर्दिष्ट समयानुसार नगर पालिका द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए कचरा वाहन / स्थल तक पहुचाना होगा। ऐसे कचरे को सामुदायिक कूड़ा घरो में डालना निषेध होगा।

(xv) पृथक किए गए जैव अपघटीय ठोस कचरे को यदि उत्सर्जकों द्वारा कम्पोस्ट न किया गया हो, तो उसे उन्हे अपने परिसर में अलग से एकत्र करना होगा और उसकी डिलिवरी पंचायत श्रमिक वाहन / कचरा एकत्रकर्ता / कचरा संग्रहकर्ता अथवा बल्क में जैव अपघटीय कचरा उत्सर्जित करने वाले निर्दिष्ट वाणिज्यिक उत्सर्जकों के लिए प्रदान कराए गए कचरा संग्रह वाहन तक पहुंचाया जाएगा। यह सुपुर्दगी समय समय पर अधिसूचित समयानुसार करनी होगी।

अध्याय-3
ठोस कचरा संग्रह

5. ठोस कचरे का संग्रह निम्नांकित अनुसार किया जाएगाः–

(i) नगर पंचायत के सभी क्षेत्रों था वार्डो में पृथक किए गए ठोस कचरे को घर घर जाकर संग्रह करने के बारे में एसडब्लूएम नियमों का अनुपालन किया जाएगा, जिनके अनुसार मलिन और अनौपचारिक बस्तियों सहित दैनिक आधार पर प्रत्येक घर से कचरा एकत्र किया जाएगा। इसके लिए घर घर जाकर कचरा एकत्र करने की अनौपचारिक प्रणाली को नगर पंचायतं संग्रह प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा।

(ii) प्रत्येक घर से कचरा एकत्र करने के लिए क्षेत्रवार विशेष समय निर्धारित किया जाएगा और उसे सम्बद्ध क्षेत्र में खास खास स्थानों पर प्रचारित किया जाएगा और नगर पंचायत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। घर घर जाकर कचरा एकत्र करने का समय सामान्यतया प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया जाएगा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक क्षेत्रों में दुकानों या किसी अन्य संस्थागत कचरा उत्सर्जकों से कचरा एकत्र करने का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा अथवा नगर पंचायत द्वारा समय समय पर निर्धारित समय पर होगा।

(iii) कचरे को स्व-स्थाने प्रोसेस करने वाले बल्क कचरा उल्सर्जकों से अवषिष्ट ठोस कचरे को एकत्र करने का प्रबंध किए जाएगे।

(iv) सब्जी फल, फूल, मांस, पोल्ट्री और मछली बाजार से अवषिष्ट ठोस कचरे को रोजमर्रा के आधार पर एकत्र किया जाएगा।

(v) बागवानी और उद्यान संबंधी कचरा अलग से एकत्र किया जाएगा और उसका निपटान किया जाएगा। इस प्रायोजन के लिए सप्ताह में एक या दो दिन निर्दिष्ट किए जाएंगें।

(vi) फलों और सब्जी बाजारों, मांस और मछली बाजारों, बल्क बागवानी और उद्यानों से उत्सर्जित जैव अपघटीय कचरे का अनुकूलतम इस्तेमाल करने और संग्रहण एवं ढुलाई की लागत में कमी लाने के लिए ऐसे कचरे को उस क्षेत्र के भीतर प्रोसेस या उपचारित किया जाएगा, जिसमें वह उत्सर्जित होता हैं।

(vii) कंटेनरों में कचरे का हाथ से परिचालन निषेध हैं। यदि दबावों के कारण अपरिहार्य हो तो कचरे का हाथ से निपटान * श्रमिकों की उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ समुचित संरक्षण के तहत किया जाएगा।

(viii) कचरा उत्सर्जक अपने पृथक किए गए कचरे को नगर पंचायत द्वारा अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा तैनात होपर / ऑटो-टिप्पर्स / रिक्शा आदि वाहनो में डालने के लिए जिम्मेदार होगें। बहुमंजिला इमारतों, अपार्टमेंटो, आवास परिसरों (इन उपनियमों के खंड 4 व उप-खंड (iv) और (v) के अंतर्गत आने वालों को छोड कर) से उत्सर्जित पृथक किए गए कचरे को ऐसे परिसरों के मुख्य द्वार से अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया जाएगा।

(viii) कचरा संग्रह उपकरणों और वाहनों के चयन के लिए बदलती जरुरतों और प्रौद्योगिकी में नई खोजो को ध्यान में रखा जाएगा। कचरा एकत्र करने के लिए विषेष क्षमता वाले ऐसे ऑटो टिप्पर यावाहन इस्तेमाल किए जाएगें, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होगे और उनमें जैव अपघटीय और गेर–जैव अपघटीय कचरे के लिए अलग अलग दोकम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनो पर हूटर भी लगा होगा।

(ग) स्वचालित ध्वनि रिकार्डिड उपकरण, घंटी या शोर के स्वीकार्य स्तर तक सीमित हॉर्न भी कचरा संग्रह वाहन में कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा।

(xi) प्रत्येक प्राथमिक संग्रहण तथा ढुलाई वाहन के लिए मार्ग योजनाएं और नगर पंचायत द्वारा या अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजनाएं तालिकाबद्ध और जीआईएस मानचित्र में होगी, जो नगर पंचायत द्वारा विधिवत रुप से अनुमोदित होगी और उनमें प्रारंभिक बिन्दु, प्रारंभ करने का समय, प्रतीक्षा स्थलों, मार्ग में रुकने का समय, अंतिम बिंदु और निर्दिष्ट मार्ग के अंतिम समय का उल्लेख होगा। नगर पंचायत अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा प्रत्येक गली में एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर प्राथमिक कचरा संग्रह और ढुलाई वाहनों की समय सारणी प्रदर्शित की जाएगी, ताकि क्षेत्र के निवासी निर्धारित समय पर इस सुविधा का लाभ उठा सकें। ऐसी जानकारी नगर पंचायत की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

(xii) तंग गलियों में, जहां ऑटो टिप्पर या वाहन की सेवाएं संभव न हों, वहां एक श्रीव्हीलर अथवा छोटे मोटरयुक्त वाहन / साईकिल रिक्शा काम पर लगाया जाएगा, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होंगा और उसमें गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनो में हूटर लगा होगा और वह मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन के अनुकूल होगा।

(xiii) अत्यंत भीड भाड वाले और अधिक तंग गलियों वाले क्षेत्रों में जहां श्री व्हीलर या छोटे वाहन भी न जा सकें वहां साइकिल रिक्शा अथवा अन्य प्रकार के उपयुक्त उपकरण तैनात किए जाएंगे।

(xiv) ऐसी छोटी, तंग और भीड़ी गलियों / लेनों में जहा श्रीव्लीहर / रिक्शा आदि का संचालन संभव न हो, ऐसे स्थानों पर बस्ति / गली के छोर पर खास जगह तय की जाएगी, जहां कचरा संग्रह वाहन खड़ा किया जा सके और वाहन के हेल्पर के पास एक सीटी होगी और वे सीटी बजाते हुए गली में ठोस कचरा संग्रहण के लिए वाहन के आगमन की घोषणा करेंगे। इस तरह की संग्रह प्रणाली की समय सारिणी नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और नगर पंचायत की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

(xv) ऑटो टिप्पर, श्रीव्हीलर्स, रिक्शा और सेवा में संलग्न किसी अन्य तरह के वाहन केवल घरों से कचरा एकत्र करेंगे, और अन्य स्त्रोतो जैसे ढलाव, खुले स्थलों, मैदान, कूड़ेदानों और नालियों आदि से कचरा एकत्र नहीं करेंगे।

(xvi) नगर पंचायत या उसके अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहतें प्राथमिक कचरा संग्रहण के लिए क्षेत्र की सभी गलियों / लेनों को कवर करने के लिए जिम्मेदार होगें।

अध्याय–4
ठोस कचरे का द्वितीयक संग्रहण

6. द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ में ठोस कचरे का संग्रहण निम्नांकित अनुसार किया जाएगा

(प) घरो में एकत्र किया गया पृथक ठोस कचरा, कचरा स्टोरेज डिपो, सामुदायिक कूडा घरों या अचल या चल अंतरण स्थलों या कचरे के द्वितीयक संग्रहण के लिए नगर पंचायत द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर ले जाया जाएगा।

(पप) ऐसे द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ को कंटेनरों (निर्दिष्ट रंग के) से कवर किया जाएगा, जिनसे निम्नांकित के लिए अलग अलग स्टोरेज होगें:–

(क) गैर-जैव अपघटीय अथवा सूखा कचरा.

(ख) जैव अपघटीय अथवा गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा।

(iii) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए नगर पंचायत द्वारा चिन्हित अलग अलग कंटेनरो का इस्तेमाल निम्नांकित अनुसार किया जायेगाः-

* हराः जैव अपघटीय कचरे के लिए
* नीलाः -अपघटीय कचरे के लिए
* कालाः घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए

नगर पंचायत समय समय पर विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे के संग्रहण और वितरण के लिए निर्धारित गोदामों की रंग संहिता और अन्य मानदंड अधिसूचित करेगी ताकि कचरे का सुगम और सुरक्षित संग्रहण हो सके और किसी प्रकार का मिश्रण या रिसाव न हो, जिनका अनुपालन विभिन्न प्रकार के ठोस कचरा उत्सर्जकों को करना होगा।

(iv) नगर पालिका स्वयं अथवा बाहरी एजेंसियों के जरिए ठोस कचरा संग्रहण केंद्रो का संचालन इस ढंग से करेगी कि उनके 'आस पास अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ स्थितियां पैदा न हों।

(v) द्वितीयक संग्रहण डिपुओं में विभिन्न आकार के कंटेनर नगर पंचायत या किन्ही अन्य निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा प्रदान किये जाएंगे, जो इस उप-नियमों में वर्णित अनुसार अलग अलग रंगों के होगे।

(vi) संग्रहण केन्द्रो का निर्माण और स्थापना इस बात को ध्यान में रख कर की जाएगी कि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में कचरे के उत्सर्जन की मात्रा कितनी है और जनसंख्या का घनत्व कितना है।

(vii) संग्रहण केन्द्र इस्तेमालकर्ता अनुकूल होंगे और उनका डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि उनसे कचरा ढका रहे और संग्रहण किए गये कचरे का खुले वातावरण में कोई दुष्प्रभाव न पड़े।

(viii) सभी आवास सहकारी समितीयों, एसोसिएशनों, रिहायशी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और द्वारबंद समुदायों का यह दायित्व होगा कि वे इन उप-नियमों द्वारा निर्धारित रंगीन कूड़ेदान रखें और स्वयं के परिसरों में समुचित स्थानो पर पर्याप्त संख्या में ऐसे कंटेनर रखें ताकि वहां हर रोज उत्सर्जित कचरा ठीक ढंग से संगृहीत किया जा सकें।

(ix) नगर पंचायत या उसकी कोई निर्दिष्ट एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वे सप्ताहिक आधार पर सभी कूडाघरों की धुलाई और संक्रमण मुक्त बनाने की व्यवस्था करें।

(x) सूखे कचरे (गैर-जैव उपघटीय कचरा) के लिए रिसाइकलिंग सेंटर

(क) नगर पंचायत अपने वर्तमान ढलावों अथवा पहचान किए गए खास स्थानों को आवश्यकतानुसार रीसाइकलिंग केंद्रों के रुप में परिवर्तित करेगा, जिनका इस्तेमाल गलियों / घर घर जाकर कचरा एकत्र करने संबंधी सेवा के जरिए एकत्र किए गए सूखे कचरे को पृथक करने के लिए किया जाएगा। प्राप्त सूखे कचरे की मात्रा के अनुसार रीसाइकलिंग केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

(ख) गली / घर घर जाकर कचरा संग्रहण प्रणाली के जरिए और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त केवल सूखा कचरा (गैर-जैव अपघटीय) इन निर्दिष्ट रीसाइकलिंग केंद्रो को स्थानातरित किया जाएगा। ये निर्दिष्ट केंद्र केवल सूखा कचरा प्राप्त करेंगे।

(ग) परिवारों के लिए प्रावधान भी होगा कि वे अपना रीसाइकिल योग्य सूखा कचरा इन रिसाइकलिंग केंद्रों पर सीधे जमा करा सकते है अथवा अधिकृत एजेंटो और / या नगर पंचायत से अधिकृत कचरा व्यापारियों को पूर्व अधिसूचित दरो के अनूसार बैच सकते है। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक रिसाइकलिंग यूनिट पर एक धर्मकांटा और काउंटर उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत कचरा व्यापारी को इस बात की अनुमति होगी कि वे रिसाइकिल योग्य कचरे को एसडब्ल्यूएम नियमों के प्रावधानों के अनुसार द्वितीयक बाजार अथवा रिसाइकलिंग यूनिटों को बेच सकते है। अधिकृत एजेंट और / या अधिकृत व्यापारी बिक्री से प्राप्त धनराशि रखने का हकदार होंगे।

(xi) निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए संग्रहण केंद्र

(क) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के संग्रह के लिए एक संग्रहण केंद्र उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाएगा, जहा निर्दिष्ट घरेलू * जोखिमपूर्ण कचरे को प्राप्त किया जाएगा, ऐसा सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार यथासमम्भव प्रत्येक वार्ड में स्थापित किया जाएगा और उसे कचरा प्राप्त करने का समय अधिसूचित करना होगा।

(ख) नगर पंचायत अपनी एजेंसी को या छूटग्राही को यह दायित्व सौंप सकती है कि वह सभी कचरा उत्सर्जकों से घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा पृथककृत तरीके से एकत्र करें।

(ग) इस तरह प्राप्त किया गया कचरा सरकार द्वारा स्थापित जोखिमपूर्ण कचरा निपटान केंद्रो पर अलग से लाया जाएगा।

अध्याय–5
ठोस कचरे की ढुलाई

7. ठोस कचरे की ढुलाई निम्नांकित बातों को ध्यान में रख कर की जाएगीः–

(i) कचरे की ढुलाई के लिए प्रयुक्त वाहन भलीभांति कवर्ड होंगे ताकि एकत्र कचरे का दुष्प्रभाव मुक्त वातावरण पर न पड़े। इन वाहनो में कम्पैक्टर और मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन शामिल हो सकते है, जो नगर पंचायत द्वारा चुनी गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेंगे।

(ii) नगर पंचायत द्वारा स्थापित संग्रहण केंद्र कचरे के निपटान के लिए हर रोज काम करेंगे। कूड़ेदान या कंटेनरों के आस पास के क्षेत्र को साफ रखा जाएगा।

(iii) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से एकत्र किया गया पृथककृत जैव अपघटीय कचरा प्रोसेसिंग प्लांटो जैसे कम्पोस्ट प्लांट, बायो-मिथिनेशन प्लांट या अन्य केंद्र तक कवर्ड तरीके से पहुंचाया जाएगा।

(iv) जहा कही प्रयोज्य हो, जैव अपघटीय कचरें के लिए, ऐसे कचरे की स्व-स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

(v) एकत्र किया गया गैर-जैव अपघटीय कचरा सम्बद्ध प्रोसेसिंग केंद्रो अथवा द्वितीयक संग्रहण में पहुंचाया जाएगा।

(vi) निर्माण और विध्वंस जन्य कचरे की ढुलाई निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानो के अनुसार की जाएगी।

(vii) नगर पंचायत कचरे की समुचित ढंग से ढुलाई के प्रबंध करेगा। गलियों को बुहारने से उत्पन्न कचरा और नालियों से निकाली गई गाद काम समाप्त होने के तत्कालं बाद हटाई जाएगी।

(viii) दुलाई वाहनों का डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि अंतिम निपटारे से पहले कचरे के बार बार परिचालन से बचा जा सकें।

(ग) कचरा संग्रहण के लिए काम में लगाए गए वाहन कचरे को केवल एमटीएस अथवा एफसीटीएस, जहां कही प्रदान किए गए हों में जमा / स्थानांतरित करेंगे।

(x) यदि किसी कारणवश एमटीएस / एफसीटीएस निर्दिष्ट स्थल पर खड़े नहीं पाए जाएगें, तो लदा वाहन एमटीएस अथवा एफसीटीएस के अगले निर्दिष्ट स्थल अथवा कचरे को उतारने के लिए नगर पंचायत द्वारा निर्दिष्ट स्थल तक जाएगा।

(xi) फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रासफर स्टेशन को हूक लोडर के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा।

(xii) कचरे की ढुलाई के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से उत्सर्जित कचरे का परस्पर मिश्रण नहीं होना चाहिए।

(xiv) कचरे के गली स्तरीय संग्रहण और ढुलाई सेवाएं अवकाश के दिनों सहित हर दिन उपलब्ध कराई जाएंगी।

(xv) इस सेवा में संलग्न एमटीएस केवल गली स्तरीय प्रचालनों से कचरा संग्रह करने वाले निर्दिष्ट ऑटो-टिप्परों, तिपहिया या अन्य वाहनों / कूडादानों से कचरा प्राप्त करेंगा।

(xvi) परिवारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से गली स्तरीय और घर घर जाकर ठोस कचरा संग्रह करने में लगे ऑटो-टिप्परों, तिपहिया वाहनो, रिक्शा आदि से कचरा प्राप्त करने के लिए एकअनुमोदित रुट प्लान के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिबद्ध एमटीएस तैनात किए जाएगें।

(xvii) एमटीएस और एफसीटीएस का डिजाइन ऐसा होगा, जो कचरे को प्राथमिक संग्रहण वाहनों से उतारने में कम से कम समय लें और कूडा करकट इधर उधर न फैले।

(xviii) ठोस कचरे को स्थानांतरित करते समय एमटीएस और एफसीटीएस के इर्द गिर्द रिसे हुए कचरे को साफ किया जाना चाहिए, ताकि कोई रिसाव न बचे। ऐसे स्थान पर सफाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद संक्रमण विरोधी पदार्थ इस्तेमाल किए जाने चहिए।

(xvx) नगर पंचायत अथवा उसकी निर्दिष्ट एजेंसी सभी द्वितीयक संग्रहण केंद्रो पर सीसीटीवी कैमरे लगाएगी।

अध्याय–6
ठोस कचरे की प्रोसेसिंग

8. ठोस कचरे की प्रोसेसिंगः

(i) नगर पंचायत ठोस कचरा प्रोसेसिंग केंद्रो और सम्बद्ध ढांचे के निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव की स्वयं व्यवस्था करेगा अथवा किसी एजेंसी के द्वारा इस कार्य को अंजाम देगा, ताकि ठोस कचरे के विभिन्न घटकों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। इसके लिए निम्नांकित प्रौद्योगिकियों सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाई जाएगी और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको का अनुपालन किया जायेगाः –

(क) दुलाई की लागत और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को निम्नवत रखने के लिए विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएंगी, जैसे बायो-मिथेनेशन, माइक्रोवियल कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, एनायरोबिक डाइजेशन अथवा जैव अपघटीय कचरे की जैव-स्थिरता के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रोसेसिंग पद्धतिः

(ख) केंद्रीकृत स्थलों पर स्थित मध्यम / बडे कम्पोस्टिंग / बायो-मिथेनेशन प्लांटो के जरिए

(ग) कचरे से ऊर्जा प्रक्रियाओं के जरिए ठोस कचरा आधारित बिजली संयंत्रो को कचरे के ज्वलनशील अंश के लिए रिफ्यूज डेराइव्य ईधन के रूप में अथवा फीड स्टॉक आपूर्ति के रुप में ईधन प्रदान करते हुए.

(घ) निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन प्लांटों के जरिए।

(ii) नगर पालिका रिफ्यूज डेराइव्य फ्यूल (आरडीएफ) की खपत के लिए बाजार सृजित करने का प्रयास करेगा।

(iii) कचरे से बिजली बनाने वाले प्लांट में सीधे भस्मीकरण के लिए कचरे का पूर्ण पृथक्करण अनिवार्य होगा और ऐसा करना सम्बद्ध अनुबंधो की कार्यशर्तों का हिस्सा होगा।

(iv) नगर पंचायत सुनिश्चित करेगा कि कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच, कपडा आदि रिसाइकिल योग्य पदार्थ रिसाइकिल करने वाली अधिकृत एजेंसियो को भेजा जाए।

9. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग के लिए अन्य दिशा-निर्देशः–

(i) नगर पंचायत सभी निवासी कल्याण संगठनों, समूह आवास समितियों, बाजारों, द्वारबंद समुदायों और 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र रखने वाले संस्थानों, सभी होटलो एवं रेस्त्राओं, बैक्वेट हालों और इस तरह के अन्य स्थलों पर यथासंभव कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन के जरिए जैव अपघटीय कचरे वाले अन्य कचरा उत्सर्जकों को भी जैव अपघटीय कचरे की स्व-स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

(ii) नगर पंचायत यह नियम प्रवृत्त करेगा कि सब्जी, फल, मांस, पोल्ट्री और मछली व्यापार मंडियां अपने जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग करते समय स्वच्छ स्थितियां बनाए रखना सुनिश्चित करें।

(iii) नगर पंचायत यह नियम प्रवृत्त करेगा कि बागवानी, उद्यानों और पार्कों से उत्सर्जित कचरे का निपटान अलग से यथासंभव पार्कों और उद्यानों में ही किया जाए।

(iv) नगर पंचायत कचरा प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने और घर पर ही कम्पोस्टिंग, बायो गैस उत्पादन, सामुदायिक स्तर पर कचरे की विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करेगा। परंतु ऐसा करते समय बदबू को नियंत्रित रखना और तत्संबंधी यूनिट के आसपास स्वच्छता स्थितियां बनाए रखना अनिवार्य होगा।

अध्याय–7
ठोस कचरे का निपटान

10. ठोस कचरे का निपटान

(i) नगर पंचायत अवशिष्ट कचरे और गलियों में झाडू लगाने से उत्सर्जित कचरे तथा नालियों से निकलने वाली गाड़ का निपटान एसडब्ल्यूएम नियमों के अंतर्गत निर्धारित ढंग और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा लागू किए गए किसी अन्य दायित्व के अनुरूप करने के लिए स्वयं अथवा किसी अन्य एजेंसी के जरिए सेनिटरी लैडफिल और सम्बद्ध ढाचे का निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव करेगा।

अध्याय-8
इस्तेमालकर्ता शुल्क और स्थल पर ही जुर्माना / दंड लगाना

11. ठोस कचरे का संग्रहण, ढुलाई, निपटान के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्कः-

(क) कचरा उर्त्सजकों से कचरा संग्रहण, ढुलाई और निपटान हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए नगर पंचायत द्वारा इस्तेमालकर्ता शुल्क निर्धारित किया जाएगा। इस्तेमालकर्ता शुल्क की दरें अनुसूची-1 में निर्दिष्ट है।

(ख) कचरा उत्सर्जकों से निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली नगर पंचायत अथवा अध्यक्ष / नगर पंचायत द्वारा अधिकृत एजेंसी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(ग) नगर पंचायत इन उपनियमों की अधिसूचना की तारीख से 3 माह के भीतर इस्तेमालकर्ता शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए कचरा उत्सर्जन का डाटाबेस तैयार करेगा और इस्तेमालकर्ता शुल्क की बिलिंग / संग्रह / वसूली के लिए समुचित व्यवस्था विकसित करेगा। डाटाबेस को नियमित रुप से अद्यतन बनाया जाएगा।

(घ) नगर पंचायत ऑनलाइन भुगतान के सहित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली के लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाएगा।

(ड) इस्तेमालकर्ता वसूली के लिए महीने में विशेष दिन निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह को वरीयता दी जाएगी।

(च) वार्षिक और छमाही भुगतान की प्रणाली अपनाई जाएगी। यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क समूचे वर्ष के लिए अग्रिम अदा किया जाता है, तो ऐसे में 12 महीने के बजाए 10 महीने का शुल्क लिया जाएगा। इसी प्रकार यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली का भुगतान 6 महीने के लिए किया जाता है तो शुल्क की मांग की राशि छह महीने के बजाये साढ़े पांच महीने के लिए वसूल की जाएगी।

(छ) अनुसूची 1 में वर्णित इस्तेमालकर्ता शुल्क प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 10 प्रतिशत बढ़ जाएगा।

(ज) इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए अधिकृत संस्थान / * व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(झ) इस्तेमालकर्ता शुल्क के भुगतान में चूक होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा चूककर्ता से उसकी वसूली भू-राजस्व के बकरे की भाँति वसूल की जायेगी।

12. एसडब्ल्यूएम नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना / दंडः–

(क) एसडब्लूएम नियमों अथवा इन उप-नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा अनुपालन करने में विफलता के लिए इन उप-नियमों के परिशिष्ट में दी गई अनुसूची 2 में वर्णित अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

(ख) उपरोक्त खंड (क) में वर्णित अनुसार उल्लंघन या गैर-अनुपालन की स्थिति बार बार आने पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना प्रतिदिन या महीना, जो भी लागू हो, के अनुसार लगाया जाएगा।

(ग) जुर्माना या दंड लगाने हेतु निर्दिष्ट / प्राधिकृत अधिकारी अधिशासी अधिकारी एवं उनके द्वारा नामित कर्मचारी, सब इन्स्पेक्टर, चौकी, थाना प्रभारी होगें तथा मजिस्ट्रेट एवं अध्यक्ष सामान्य या विशेष आदेश के अधीन अन्य अधिकारियों को भी नामित कर सकते हैं। जुर्माना / दंड राशि अनुसूचि 2 में दी गई है।

(घ) अनुसूची 2 में वर्णित जुर्माना अथवा दंड राशि प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 5 प्रतिशत बढ़ जाएगी।

(ड) निर्दिष्ट / प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जुर्माना मौके पर लगाया और वसूल किया जाएगा। जुर्माने का भुगतान मौके पर जमा न करने में उक्त धनराशि भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी एवं मामले में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित अभियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

अध्याय–9
प्रतिभागियों के दायित्व

13. कचरा उत्सर्जकों के दायित्वः–

(i) कूड़ा फेकने पर पाबंदी

(क) किसी सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फैलाना अधिकृत सार्वजनिक या निजी कूड़ादानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा नहीं फैलाएगा। कोई व्यक्ति विशेष प्रयोजन के लिए प्रावधान किए गए सार्वजनिक केंद्रों या सुविधाओं को छोड़कर किसी सार्वजनिक स्थल पर वाहनों की मरम्मत, बर्तन या कोई अन्य उपकरण धोने / साफ करने का काम नहीं करेगा या किसी प्रकार का संग्रहण नहीं करेगा।

(ख) किसी संपत्ति पर कूड़ा फैलानाः अधिकृत निजी अथवा सार्वजनिक कूड़ेदानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी मुक्त या रिक्त संपत्ति पर कूड़ा नहीं डालेगा।

(ग) वाहनों से कूड़ा फेंकना किसी वाहन के ड्राइवर या यात्री के रूप में कोई व्यक्ति किसी गली, सड़क, फुटपाथ, खेल के मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैंड या अन्य सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा नहीं फैकेगा।

(घ) मालवाहक वाहन से गंदगी डालना कोई भी व्यक्ति तब तक किसी ट्रक या अन्य मालवाहक वाहन को नहीं चलाएगा, जब तक कि ऐसे वाहन का निर्माण और लदान इस प्रयोजन के लिए अधिकृत न किया गया हो ताकि सड़क, फुटपाथ, खेल का मैदान, उद्यान, ट्रेफिक आइलैंड या अन्य सार्वजनिक स्थलो पर कोई लोड पदार्थ अथवा गंदगी डालने से रोका जा सकें।

(ड) स्वयं / पालतू पशुओं से गंदगी कुत्ता, बिल्ली आदि पालतू जानवरों के मालिकों का यह भी दायित्व होगा कि गली अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसे जानवरो द्वारा उत्सर्जित किसी प्रकार की गंदगी को तत्काल उठाएगा / साफ करेगा और इस तरह के उत्सर्जित कचरे के समुचित निपटान के लिए समुचित उपाय करेगा, जिनमें स्वयं की सीवेज प्रणाली से निपटान को वरीयता दी जाएगी।

(च) नालियों आदि में कचरे का निपटान कोई व्यक्ति किसी नाली / नदी / खुले तालाब / जल निकायों में गंदगी नहीं डालेगा।

(ii) कचरे को जलाना सार्वजनिक स्थानों पर या निजी स्थान पर या निषेध सार्वजनिक संपत्ति पर ठोस कचरे के किसी भी प्रकार के जलाने द्वारा निपटान निषिद्ध होगा।

(iii) "स्वच्छ क्षेत्र" प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करेगा कि उसके स्वामित्व या कब्जे वाले परिसर के सामने कोई भी सार्वजनिक स्थान अथवा आस पास का क्षेत्र स्वच्छ रहें। इन स्थानो में फुटपाथ और खुली नालियां / गटर, सड़क किनारा शामिल है, जो किसी भी तरह ठोस या तरल कचरे से मुक्त होने चाहिए।

(iv) सार्वजनिक सभाओं और किसी कारण (जुलूस, प्रर्दशनियां, सर्कस, मेले, राजनैतिक रैलियां, वाणिज्यक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रदर्शनों और प्रदर्शनों आदि सहित) से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों, जिनमें पुलिस विभाग और / या नगर पंचायत से अनुमति अपेक्षित हो, के मामले में ऐसी गतिविधियों के आयोजनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और आस पास के क्षेत्रों की स्वस्च्छता सुनिश्चित करें।

(v) ऐसे आयोजनो के मामले में आयोजक से नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित रिफंड योग्य स्वच्छता धरोहर राशि सम्बद्ध जोनल अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी, जो कार्यक्रम की अवधि में उसके पास जमा रहेगी। यह जमा राशि कार्यक्रम पूरा होने के बाद रिफंड की जाएगी लेकिन उससे पहले यह जांच की जाएगी कि उक्त सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता बहाल कर दी गई हैं। यह धरोहर राशि सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता के लिए होगी और इसमें संपत्ति को पहुंचाई गई किसी भी प्रकार की क्षति का हर्जाना नहीं होगा। यदि आयोजनकर्ता, कार्यक्रम के आयोजन के परिणाम स्वरुप उत्सर्जित कचरे की सफाई, संग्रहण और ढुलाई में नगर पंचायत की सेवाएं प्राप्त करना चाहते हो, तो उन्हें नगर पंचायत के सम्बद्ध नामित अधिकारी / कर्मचारी को आवेदन करना होगा तथा इस प्रायोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।

(vi) खाली प्लांट पर ठोस कचरा डम्प करने और गैर-निर्दिष्ट स्थानों पर निर्माण और विध्वंस कचरा डाले जाने की स्थितियों से नगर, पंचायत निम्नांकित ढंग से निपटेगाः–

(क) नगर पंचायत किसी परिषर के मालिक / अधिभोगी को नोटिस भेज सकता है, जिसमें ऐसे मालिक / अधिभोगी से उक्त परिसर पर डाले गए किसी भी प्रकार के कचरे को नोटिस में वर्णित तरीके और समय सीमा के भीतर हटाने को कहा जाएगा।

(ख) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाएं पूरी करने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को समय समय पर निर्धारित दंड का भुगतान करना होगा।

(ग) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाओ का अनुपालन करने में विफल रहता है तो नगर पंचायत निम्नांकित कार्यवाई कर सकता हैः –

(i) ऐसे परिसर में प्रवेश कर कचरे को साफ करना, और (ii) अधिभोगी से कचरा साफ करने पर किए गए व्यय को वसूल करेंगा।

(vii) डिस्पोजेबल उत्पादों और सेनिटरी नेपकिन तथा डायपर्स के विनिर्माताओं या मालिकों का दायित्वः

(क) डिस्पोजेबल उत्पादो जैसे टिन, कांच, प्लास्टिक पैकेजिंग आदि के सभी विनिर्माताओं अथवा नगर पालिका के अधिकारी क्षेत्र में आने वाले बाजारो में ऐसे उत्पाद प्रारंभ करने वाले ब्रेड मालिकों को कचरा प्रबंधन प्रणाली के लिए नगर पंचायत को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। नगर पालिका इस प्रावधान के लिए केन्द्र सरकार / राज्य सरकार के सम्बद्ध विभागों के साथ समन्वय कर सकती है।

(क) ऐसे सभी ब्रेड मालिको को, जो गैर-जैव अपघटीय पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पाद बेचते या विपणन करते हैं, उन्हें ऐसी प्रणाली कायम करनी होगी, जिसमें उनके उत्पादन के कारण उत्सर्जित पैकेजिंग कचरे को वापस लिया जा सके।

(ख) सेनिटरी नेपकिन और डायपर्स चिनिर्माता या ब्रेड मालिक या विपणन कंपनियां इस बात की संभावनाओं का पता लगाएंगी कि उनके उत्पादो में सभी रिसाइकिल योग्य पदार्थों का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है अथवा वे अपने सेनिटरी उत्पादों के पैकेट के साथ एक ऐसा पाउच या रैपर उपलब्ध कराएंगी, जिनसें नेपकिन या डायपर का निपटान किया जा सके।

(घ) ऐसे सभी विनिर्माता, ब्रेड मालिक या विपणन कंपनियां अपने उत्पादों की रैंपिग और डिस्पोजल के लिए लोगो को शिक्षित करेगी।

14. नगर पंचायत के दायित्वः

(i) नगर पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूभाग में सभी साझा गलियों / मार्ग, सार्वजनिक स्थलों, अस्थाई बस्तियों, मलिन क्षेत्रों, बाजारों, स्वयं के उद्यानों, बागों, नालियों आदि की सफाई की नियमित प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी। वह इसके लिए मानव संसाधन और मशीने लगाएगा तथा घोषित संग्रहण कंटेनर से कचरा एकत्र करने और उसे हर रोज बंद वाहनों में अंतिम निपटान स्थल तक पहुंचाने के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए नगर पंचायत अपने सफाई स्टाफ और वाहनों के अलावा, अनुबंध के आधार पर प्राइवेट पार्टियों को काम पर लगा सकता है, अथवा सरकारी-निजी भागीदार व्यवस्था का सहारा ले सकता है। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत सभी वाणिज्यक क्षेत्रों ऐसे वाणिज्यक क्षेत्रो की पहचान करेगा; जिनमें दिन में दो बार झाड़ू लगाने की आवश्यकता हों।

(ii) नगर पंचायत अथवा उसके द्वारा संलग्न अधिकृत एजेंसी सार्वजनिक मार्गो, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और वाणिज्यिक क्षेत्रों आदि के आसपास पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त आकार के कूड़ेदानों का रख रखाव करेगा।

(iii) नगर पंचायत विकेंद्रीकृत और नियमित ढंग से ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड अधिकारी निर्दिष्ट करेगा, ताकि वह कंटेनरों, सार्वजनिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों अथवा सार्वजनिक स्थलो पर बने प्रेशाबघरों, सार्वजनिक कचरे के लिए बनाए ट्रांसफर स्टेशन, लैडफिल प्रोसेसिंग यूनिटों आदि स्थानो की निगरानी रख सके।

(iv) सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरे के प्रथक्करण, संग्रह, ढुलाई, प्रसंस्करण और निपटान कार्यों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जिसमें कम से कम अपर नगर आयुक्त या समकक्ष रैंक के अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी।

(अ) प्रत्येक वार्ड निर्धारित मानदंड के आधार पर स्वीपिंग बीट्स में विभाजित किया जाएगा और उसमें तदनुरूप कार्मिक तैनात किए जाएंगे या वर्तमान तैनाती सुक्तिसंगत बनाया जाएगा तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उनके काम पर निगरानी रखी जाएगी। नगर पंचायत जहां कही अपने स्टाफ से स्वीपिंग कराने में असमर्थ होगा, तो वह अनुबंध के जरिए बाहरी एजेंसियों से यह काम करा सकती हैं। प्रत्येक बीट का निरीक्षण दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक आधार पर सुपरवाइजिंग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

(vi) नगर पंचायत अद्यतन सड़क / गली क्लिनिंग मशीनों, मैकेनिकल स्वीपरो अथवा उपकरणों का इस्तेमाल करेगा, जिनसे झाड़ू लगाने और नालियों की सफाई की सक्षमता में सुधार होगा।

(vii) नगर पंचायत सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान के माध्यम से जागरुकता और संवेदनशीलता पैदा करेगा तथा कचरा उत्सर्जको और अन्य हितभागियो को एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप-नियमों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में प्रशिक्षित करेंगा, जिसमें इस्तेमालकर्ता शुल्क और जुर्माना / दंड संबंधी प्रावधानो की जानकारी पर विशेष बल दिया जाएगा।

(viii) नगर पंचायत कचरा उत्सर्जकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे गीले कचरे का स्रोत पर ही उपचार करे। नगर पंचायत विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकियों, जैसे बायो- मिथेनेशन, कम्पोस्टिंग आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर सकता है। इन प्रोत्साहनों में परिवारों, निवासी कल्याण संगठनो और संस्थानों आदि को पुरस्कृत और सम्मान प्रदान करना, उनके नाम सम्बद्ध वेबसाइटों में प्रकाशित करना अथवा संपत्ति कर आदि में छूट प्रदान करना शामिल हो सकते है।

(ix) नगर पंचायत स्वयं द्वारा रख रखाव किए जा रहें सभी पार्कों, उद्यानों और जहां कही संभव हो, अपने अधिकार क्षेत्र वाले अन्य स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग समाप्त करेगा और उनमें कम्पोस्ट का इस्तेमाल करेगा। अनौपचारिक कचरा रीसाइकलिंग क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले रीसाइकलिंग उपायों के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा सकते है।

(ख) नगर पंचायत ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियों को सुचारु और औपचारिक बनाने के उपाय करेगा और यह प्रयास करेगा कि कचरा प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (कचरा बीनने वालों) को वरीयता दी जाए, ताकि उनके कार्य स्थितियों को उन्नत बनाया जा सके और उन्हें ठोस कचरा प्रबंधन की औपचारिक प्रणाली में समाहित एवं एकीकृत किया जा सकें।

(xi) नगर पंचायत यह सुनिश्चित करेगा कि स्वच्छता सेवा के सुविधा प्रदाता द्वारा अपने उन श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित वर्दी, फ्लोरेसेंट जैकेट, दस्ताने, रेनकोट, समुचित फुटवेयर और मास्क प्रदान किए जाएं, जो ठोस कचरा परिचालन कार्य करते है और यह भी कि ऐसे श्रमिकों द्वारा इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए।

(xii) नगर पंचायत कचरे के संग्रहण, परिवहन और परिचालन में शामिल स्वयं और बाहरी एजेंसी के स्टाफ की व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा के उपयुक्त और समुचित उपकरण प्रदान करेगा।

(xiii) किसी ठोस कचरा प्रोसेसिंग या उपचार या निपटान केंद्र अथवा लैंडफिल साइट पर कोई दुर्घटना होने की स्थिति में, उस केंद्र का प्रभारी अधिकारी तत्काल नगर पंचायत को रिर्पोट करेगा, जो स्थिति की समीक्षा करने के बाद उस केंद्र के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

(xiv) नियमित जांचः अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी वार्ड के विभिन्न भागों और ठोस कचरे के संग्रहण, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान से संबंधित अन्य स्थानों की नियमित जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप-नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन हो रहा हैं।

(xv) नगर पंचायत अपने मुख्यालय में कॉल सेंटर की स्थापना के जरिए सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) विकसित करेगा। इस पीजीआरएस में एसएमएस आधारित सेवा, मोबाइल अप्लीकेशन अथवा वैब आधारित सेवाएं शामिल हो सकती हैं।

(xvi) नगर पंचायत एसडब्ल्यूएम नियमों और उप-नियमों के कार्यान्वयन से सम्बद्ध कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए कार्ड प्रोद्योगिकियों / आईसीटी प्रणाली कायम करेगा तथा ऐसी प्रणाली को वेतन / दिहाडी / परिश्रमिक के साथ एकीकृत करने के प्रयास करेगा।

(xvii) पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नगर पंचायत अपनी वेबसाइट से सारी आवश्यक सूचनाऐ प्रदान करेगा।

(xviii) नगर पंचायत एसडब्ल्यूएम नियमों में वर्णित सभी अन्य दायित्व पूरे करेगा, जो इन उपनियमों में विशेष रुप से उल्लिखित नहीं किए गये हैं।

अध्याय–10

विविध

15. इन उपनियमों की व्याख्या या कार्यान्वयन में कोई संदेह या कठिनाई आने की स्थिति में उसे अध्यक्ष, नगर पंचायत के समक्ष रखा जाएगा, जिसका निर्णय ऐसे मामले में अंतिम होगा।

16. सरकारी निकायों के साथ समन्वयः नगर पालिका अन्य सरकारी एजेंसियों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा, ताकि इन उपनियमों का अनुपालन ऐसे निकायों के अधिकार क्षेत्र या नियंत्रण में आने वाले इलाकों सुनिश्चित किया जा सके। कोई कठिनाई होने की स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा।

17. सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और इन उप-नियमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए समय समय पर सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकते हैं

अनुसूची-1

ठोस कचरा प्रबंधन के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क

क्र.सं.	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी /अपशिष्ट का प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (यूजर चार्जेज रूपये में) प्रतिमाह			
		जैविक-अजैविक कूड़ा अलग-अलग पहुंचाने पर (रू0)	मिश्रित कूड़ा सड़क तक पहुँचाने पर (रू0)	जैविक-अजैविक कूड़ा घर/श्रोत पर ही अलग-अलग देने (रू0)	जो व्यक्ति घर/श्रोत पर ही मिश्रित कूड़ा देने पर (रू0)
1	2	3	4	5	6
1.	गरीबी रेखा से नीचे के घर (बी.पी.एल)कार्ड धारक	10	15	25	30
2.	आय वाले घर (बी.पी.एल कार्डधारक के अतिरिक्त 5000.00 प्रतिमाह तक की आय वाले घर)	15	15	20	30
3.	मध्यम आय वाले घर (रु. 5000.00 से अधिक रु. 10000.00 प्रतिमाह आय वाले घर)	15	20	25	35
4.	उपरोक्त के अतिरिक्त घर	20	25	30	50
5.	सब्जि एवं फल विक्रेता	150	250	150	200
6.	मांस एवं मछली विक्रेता	150	250	150	200
7.	रेस्टोरेन्ट	250	300	200	400
8.	होटल / लॉजिग / गेस्ट हाऊस	250	350	300	450
9.	धर्मशाला	25	35	45	50
10.	बरातघर (चेरिटेबिल) बरातघर (नॉन–चेरिटेबिल)	1500	2000	1500	2000
11.	बेकरी	200	250	200	250
12.	कार्यालय	75	125	75	100
13.	स्कूल / शिक्षण संस्थाएं (आवासीय) प्रति परिवार	150	250	250	250
14.	स्कूल/क्षण संस्थाएं (अनावासीय)	30	35	35	35
15.	हॉस्पिटल / नर्सिग होम (बायोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर)	250	450	250	200
16.	क्लीनिक / पैथोलोजी (बायोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर)	150	250	200	225
17.	दुकान / चाय की दुकान	150	250	200	300
18.	फैक्ट्री	250	450	350	500
19.	वर्कशॉप	1500	2000	1000	1500
20.	कबाडी	1500	2000	1000	1500
21.	जूस / गन्ने का रस विक्रेता	100	150	175	300
22.	सार्वजनिक / निजी स्थलों परसर्कस / प्रदर्शनी / विवाह आदि आयोजन जिनमें अपशिष्ट उत्पन्न हो प्रतिदिन	700	1800	900	2000
23.	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	400	800	700	1000
24.	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य (प्रतिष्ठान की स्थिति के अनुसार)				

इस्तेमालकर्ता शुल्क / प्रभार का भुगतान मांग जारी होने से 30 दिन के भीतर न किए जाने की स्थिति में इस्तेमालकर्ता शुल्क / प्रभार पर 10 प्रतिशत की दर से विलंब भुगतान / प्रभार (एलपीएससी) लगाया जाएगा।

अनुसूची–2

जुर्माना / दंड

क्र.	नियम / उप नियम संख्या	अपराध	निम्नांकित पर लागू	
1	एसडब्ल्यूएमनियमोंका नियम 4(1)(क)	कचरे को पृथक करने और संग्रह करने तथा पृथक्कृत कचरे को इन नियमों के अनुसार सौपने में विफल रहना	आवासीय बल्क जेनरेटर	200 500
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले विवाह / पार्टी हाल, फेस्टिवल हाल, पार्टी लान, प्रदर्शनी और मेले स्थल	5000
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले क्लबों, सिनेमाघरों, सामुदायिक हॉल, मल्टीप्लेक्सेज और अन्य ऐसे स्थान	5000
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर -आवासीय स्थान	4000
			फिस, मीट विक्रेता द्वारा कूडे को पृथ्थकरण तरीके से न रखना	500
	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4 (2)	सड़क / गली में 1. कूडा फैकना, थूकना 2. नहाना, पैशाब करना, जानवरो को चारा खिलाना, कपडे धोना, वाहन धोना, गोबर नाली में बहाना	उल्घनकर्ता	200 से 500 एवं कार्यवाही उत्तराखण्ड कूड़ा फेकना एवं थूकना प्रतिशेध अधिनियम 2016 के अन्तर्गत होगी। 2000
2.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ख) और (घ)	नियमानुसार सेनिटरी कचरे का निपटान करने में विफल रहना। नियम के अनुसार बागवानी और उद्यान कचरे के निपटान में विफल रहना।	आवासीय	200
			गैर-आवासीय / बल्क जन्रेटर	1000
3.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4 (1) (ग)	नियम के अनुसार निर्माण और विध्वंस कचरे के निपटान में विफल रहना।	आवासीय	2000
			गैर–आवासीय / बल्क जन्रेटर	5000
4.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4 (2),15 (ट),	ठोस कचरे को खुले में जलाना	उल्लंघनकर्ता	5000
5.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4 (4)	निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किसी गैर लाइसेंसीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक की भागीदारी के साथ कार्यक्रम या सभा का आयोजन करना	ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की गई हो और इवेंट मैनेजर यदि कोई हो, जिसने कार्यक्रम या सभा आयोजित की हो	5000
6.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4 (5)	नियम के अनुसार कचरे का निपटान करने में विफल रहने वाले गली विक्रेता / वेन्डर कूड़ादान न रखने एवं कूडे को पृथ्थकरण न करने, अपष्टि भण्डारन डिपो या पात्र या वाहन में डालने में विफल रहनेपर	उल्लंघनकर्ता	1000
7.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम4 (2), 15 (छ)	सार्वजनिक स्थलो, सडको, गलियों आदि में गंदगी फैलाना / कुत्ते / अन्य जानवरी द्वारा मल त्याग / उत्सर्जित कचरे के निपटान में विफलता	अपराधी	1000

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम बताए

चमोली। उत्तराखंड मुक्त विवि के पाठ्यक्रम बताएउच्च शिक्षा आपके द्वार के तहत देवतोली के सेमीग्वाड़ गांव में ग्रामीणों को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों से अवगत कराया गया। इस दौरान उन्हें विवि के पाठ्यक्रम में नामांकन करने के लिए प्रेरित भी किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड मुक्त विवि के कर्णप्रयाग के क्षेत्रीय केंद्र के रीजनल डायरेक्टर व समन्वयक डॉ. आरसी भट्ट ने शिक्षा के महत्व को बताया। सहायक क्षेत्रीय निदेशक प्रियंका लोहनी ने ग्रामवासियों को विश्वविद्यालय के विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रमों वह इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश की जानकारी प्रदान की। मौके पर सेमीग्वाड़ के ग्रामवासी, ग्राम प्रधान काजल, सूरज, क्षेत्रीय केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक, सहायक क्षेत्रीय निदेशक और अन्य स्टाफ मौजूद रहे।

नंदानगर के आपदा पीड़ितों की मदद को आगे आए

चमोली। नन्दानगर के गांवों में आयी आपदा से बेघर हुए परिवारों के लिए प्रशासन के साथ समाजिक संगठनों से जुड़े लोग मदद के आगे आ रहे हैं। सोमवार को द रुद्राक्ष ए हिमालयन रेट्रीट ऋषिकेश टिहरी के महेश चन्द्र तिवारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर नन्दानगर के आपदा प्रभावित गांव कुंतरी लगा फाली में 11परिवारों को गैस कनेक्शन और सेरा धुरमा कुंतरी के 100 परिवारों को कंबल वितरित किए। इस दौरान बारमासा के राहुल कोटियाल, कार्यकम समन्वयक भरत सिंह नेगी, सुरेंद्र रावत, प्रकाश मैंडोली, रमेश रावत, प्रकाश नेगी, नवीन गौर, सौरभ कठेत के सहयोग से पीड़ित परिवारों तक राहत पहुंचाई गई।

पांच दिन में 560 आधार कार्ड बने

ऋषिकेश। रानीपोखरी में पिछले पांच दिनों में 560 से अधिक आधार कार्ड बनाए गए। इस आंकड़े में नए पंजीकरण (नए कार्ड बनाना) और मौजूदा कार्डों में अपडेट दोनों शामिल है। मंगलवार को रानीपोखरी में आधार कार्ड शिविर को बिजली कटौती के कारण दोपहर एक बजे स्थगित कर दिया गया। रानीपोखरी के ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी ने बताया कि बीते पांच दिनों से क्षेत्र में शिविर लगाकर आधार कार्ड बनाने और अपडेट करने का कार्य चल रहा था, जिसमें पांच दिनों में 560 से अधिक आधार कार्ड बनाए गए हैं। नागरिकों को किसी तरह की असुविधा न हो इसके लिए दो-दो मशीनें लगाई गईं और उनके बैठने की पूरी व्यवस्था भी की गई। गर्मी से राहत देने के लिए बाहर पंखों की भी व्यवस्था की गई थी। कहा कि अब विद्युत कटौती और त्योहार की वजह से नागरिकों को इस सुविधा के लिए अब थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अब आधार कार्ड से संबंधित नया काम 25 अक्तूबर के बाद फिर से शुरू होने की संभावना है।

डीएम तिवारी ने की आपदा प्रभावित क्षेत्रों में किए जा रहे राहत कार्यों की समीक्षा

चमोली। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने मंगलवार को जनपद के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में किए जा रहे राहत कार्यों और सड़कों की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी सड़क निर्माण से जुड़े विभागीय अधिकारियों को सड़कों का शीघ्र सुचारु करने के निर्देश दिए। साथ ही सड़क सुधारीकरण की प्रगति रिपोर्ट प्रतिदिन समय से उपलब्ध कराने के आदेश दिए।

जिलाधिकारी कार्यालय में वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने नंदानगर और थराली के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों, बाधित सड़कों और प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न की वर्तमान स्थित की जानकारी ली। उन्होंने लोनिवि, पीएमजीएसवाई और ब्रिडकुल के अधिकारियों को बाधित सड़कों के सुधारीकरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ उन्होंने बाधित सड़कों के सुधारीकरण की प्रगति रिपोर्ट प्रतिदिन समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न आपूर्ति की जानकारी ली। उन्होंने पूर्ति विभाग की कार्य प्रणाली पर नारजगी व्यक्त करते हुए सभी गांवों में शीघ्र अक्तूबर माह का खाद्यान्न पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही पूर्ति अधिकारी को सड़कों के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था कर खाद्यान्न आपूर्ति समय से करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों को अपने अपने क्षेत्र में खाद्यान्न आपूर्ति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी एनके जोशी ने बताया कि वर्तमान में जनपद की पडेर गांव-पेरी, पीपलकोटी-सल्ला रैतोली, निजमूला-गौणा-पाणा, रानौं-क्वींठी, कनकचौरी-रौता और धुर्मा-कुंडी सड़कों का सुधारीकरण कार्य किया जा रहा है।

चिलेड़ी से जिपं सदस्य उत्तम असवाल ने शपथ ग्रहण की

श्रीनगर गढ़वाल। कोर्ट से रोक हटने के बाद मंगलवार को चिलेड़ी जिला पंचायत सदस्य उत्तम सिंह असवाल ने बडियारगढ़ घंटाकर्ण धाम में शपथ ली। असवाल ने कहा कि जिला न्यायालय द्वारा उनके पक्ष को सुने बिना रोक लगाई थी, जिसके बाद अधिवक्ता आनंद सिंह बेलवाल और शांति प्रसाद भट्ट द्वारा उनके पक्ष को जिला न्यायालय में रखा गया। जिस पर 25 सितंबर को शपथ ग्रहण एवं जिला पंचायत के कार्यों पर लगी रोक को हटा दिया गया।

शपथ कार्यक्रम में पहुंची जिला पंचायत पंचायत अध्यक्ष टिहरी इशिता सजवान ने घंटाकर्ण धाम में क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव सहयोग देने की बात कही। पूर्व कैबिनेट मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि सत्य की जीत हुई है। क्षेत्र के कुछ लोगों द्वारा न्यायालय के माध्यम से उत्तम सिंह असवाल को परेशान किया गया।

पुरोला के स्कूलों की समस्याओं पर हुई चर्चा

उत्तरकाशी। नगर पालिका अध्यक्ष बिहारी लाल शाह ने मंगलवार को शिक्षकों व शिक्षक संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर शिक्षण व्यवस्था पर चर्चा की। पालिका क्षेत्रांतर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों की समस्याओं एवं शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया गया। नगर पालिका सभागार में आयोजित बैठक के दौरान शिक्षकों ने बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर लंबे समय से चली आ रही मूलभूत व्यवस्थाओं की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। शिक्षकों ने विद्यालय भवनों की मरम्मत,पेयजल सुविधा,स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने, खेलकूद की सामग्री उपलब्ध कराने, शौचालयों की मरम्मत, विद्यालय परिसरों की सुरक्षा व सौंदर्यीकरण जैसी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। शिक्षक संगठन पदाधिकारियों ने नगर पालिका के अंतर्गत स्थित स्कूलों के शैक्षिक वातावरण बेहतर करनें को मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था में सहयोग की अपील की। पालिका अध्यक्ष बिहारी लाल शाह ने शिक्षकों की बातों को गंभीरता से सुननें के बाद शैक्षिक वातावरण के उन्नयन को हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। बैठक में रघुवीर सिंह रावत,सुरेन्द्र सिंह चौहान, त्रेपन सिंह रावत, सुरेश कुमार, बिजेंद्र रावत, संगीता रावत, कुलवंती रावत, विनिता रतूड़ी, कविता जैन, पृथ्वी सिंह रावत, मनमोहन सजवाण आदि दर्जनों अध्यापक मौजूद थे।

विशेष मानसिक हेल्थ दिव्यांग शिविर आयोजित

– शिविर में 85 मानसिक दिव्यांग लाभार्थियों के दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाये गए

चमोली। स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग, जनपद चमोली के संयुक्त तत्वावधान में विशेष मानसिक हेल्थ दिव्यांग शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 85 मानसिक दिव्यांग लाभार्थियों के दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाये गए।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 अभिषेक गुप्ता ने बताया कि जनपद में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एवं मनोरोग विज्ञान के चिकित्सक न होने के कारण मानसिक रोग से पीड़ित रोगियों के प्रमाण पत्र नहीं बन पाते हैं,इस समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग चमोली ने देहरादून स्थित राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान एवं राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल से समन्वय करते हुए जनपद चमोली में एक दिवसीय विशेष मानसिक दिव्यांग शिविर का आयोजन जनपद के केंद्र बिंदु में स्थित बेस चिकित्सालय शिमली में किया गया। शिविर में जनपद के दूरस्थ विकासखंड के गांवो से मानसिक रोग से पीड़ित जन, सुबह से अस्पताल मे अपने तीमारदारों के साथ पंजीकरण स्टॉल में पहुंचे। शिविर में देवाल ब्लॉक के लिंगड़ी ग्राम के भुवनचंद्र, गैरसैण के हरि सिंह बिष्ट, नलगांव के नरेंद्र शाह, एवं कर्णप्रयाग ब्लॉक के ग्राम मैतैली की हिमानी देवी ने बताया कि विशेष मानसिक दिव्यांग शिविर में देहरादून एवं श्रीनगर से आए विशेषज्ञ मानसिक रोग के चिकित्सकों के द्वारा हमारे बच्चों कास्वास्थ्य जांच एवं परीक्षण के उपरांत मानसिक दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए गए। हम सभी उत्तरखंड सरकार, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग एवं समाज कल्याण विभाग का धन्यवाद करते हैं कि हमें देहरादून श्रीनगर नहीं जाना पड़ा,जिससे हमारा समय एवं धन की बचत हुई, शिविर में आए लोगों को स्वास्थ विभाग द्वारा सरकारी लाभकारी योजनाओ के बारे मे विस्तृत जानकारी दिया गया। मानसिक दिव्यांग जनों के लोक कल्याणकारी योजनाओं, एवं दिव्यांग पेंशन योजना के बारे में जानकारी दी। विशेषज्ञ चिकित्सक दल में विभागाध्यक्ष चिकित्सा मनोविज्ञान डॉ सुरेंद्र सिंह ढलवाल, डॉ कुणाल, डॉ अवधेश, डॉ तरुण चौधरी राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून,एवं राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल से मनोरोग विशेषज्ञ, डॉ0 पार्थ दत्ता मनोरोग विशेषज्ञ, डॉ रॉकी शर्मा, डॉ गुलशन, शिविर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अभिषेक गुप्ता, जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं संचार अधिकारी उदय सिंह रावत इवोल्यूशन अधिकारी राजवीर सिंह कुंवर, मानसिक रोग परामर्शदाता श्रीमती चंपा राणा वरिष्ठ टीवी सुपरवाइजर योगेंद्र सिंह रावत, आदि के द्वारा सक्रिय सहयोग प्रदान किया गया।

वाल्मीकि प्रकट दिवस पर राजकीय अवकाश की मांग

हरिद्वार। ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस पर राजकीय अवकाश घोषित करने की मांग उठाई है। कहा कि प्रदेश सरकार को समाज की भावनाओं का सम्मान कर वाल्मीकि जयंती पर अवकाश बहाल करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता और समाज को आदर्श मार्ग दिखाने वाले महान महापुरुष थे। ऐसे में उनके नाम पर अवकाश समाप्त करना उचित नहीं है। प्रदेश में कई महापुरुषों के नाम पर अवकाश बहाल कर दिए गए हैं, लेकिन अब तक वाल्मीकि जयंती की छुट्टी को बहाल नहीं किया गया। कहा कि सरकार को न केवल अवकाश घोषित करना चाहिए, बल्कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कार्यक्रम और योजनाएं भी चलानी चाहिए, ताकि समाज में उनके आदर्शों का व्यापक प्रचार-प्रसार हो सके।

शहीद नायक पूरण सिंह राणा के आँगन की पवित्र मिट्टी की ताम्र कलश में संग्रहित की

चमोली, विकास खण्ड पोखरी के ग्राम कुजासू में शहीद सम्मान यात्रा 2.0 कार्यक्रम का आयोजन जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी विंग कमांडर चन्द्र शेखर आज़ाद गुप्ता के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर 1971 के भारत-पाकिस्तान वार में शहीद नायक पूरण सिंह राणा की वीर पत्नी श्रीमती पवित्रा देवी एवं शहीद सैनिक की पुत्री सुलोचना देवी की उपस्थित में ताम्र कलश में पवित्र मिट्टी संग्रहित की गई। कार्यक्रम के दौरान शहीद के चित्र पर माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई।जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी महोदय ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा शहीद परिजनों को हर संभव सहायता सुनिश्चित की जाएगी। इस अवसर पर माननीय विधायक श्री लखपत सिंह बुटोला, ब्लॉक प्रमुख श्री कुंवर सिंह, ब्लॉक प्रतिनिधि पोखरी श्री दिलबर सिंह, स्थानीय जनप्रतिनिधि, तहसील प्रशासन के अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर से बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किए जाएं : डीएम

हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में चिकित्सा प्रबन्धन समिति जिला चिकित्सालय हरिद्वार एवं जिला महिला चिकित्सालय हरिद्वार की चिकित्सा प्रबन्धन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी में जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर से बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किए जाएं। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि चिकित्सालय में आने वाले मरीजों तथा उनके तीमारदारों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था हो। उन्होंने निर्देश दिए कि उपचार हेतु आवश्यक चिकित्सा उपकरणों, औषधि, रसायन, सर्जिकल सामग्री आदि को समय से क्रय किया जाए। उन्होंने चिकित्सालय में आउटसोर्स कर्मियों की आपूर्ति हेतु टेंडर प्रक्रिया अपनाते हुए नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि नियम एवम् प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार की चूक न हो। उन्होंने आउटसोर्स टेंडरिंग की फाइलों का गहनता से परीक्षण करने के निर्देश वरिष्ठ कोषाधिकारी को दिए। समिति द्वारा चैन राय महिला चिकित्सालय के लिए विभिन्न मद्दों में 2 करोड़ 81 लाख का अनुमोदन किया गया एवं हर मिलाप मिशन जिला चिकित्सालय के लिए विभिन्न मद्दों में 3 करोड़ 35 लाख का अनुमोदन किया गया । उन्होंने पिछली बैठक में पारित प्रस्तावों की पुष्टि व विगत माहों के प्रगति की समीक्षा की गई।

आपदा प्रभावित लोगों को बांटी राहत सामग्री

उत्तरकाशी। बीते दिनों नौगांव नगर पंचायत में आई दैविक आपदा से प्रभावित लोगों के लिये संरक्षण सामाजिक समिति देहरादून ने आवश्यक सामग्री वितरित की, जिसमें गर्म कपड़े, रजाई, गद्दे, कंबल, साबुन जैसी आवश्यक सामग्री को वितरित किया। नगर क्षेत्र में रहने वाले मजदूर और पर्यावरण मित्रों सहित लगभग बीस अन्य परिवारों को सामग्री वितरित की गई जिसका विवरण समिति के सचिव नरेश नौटियाल ने किया। नरेश ने बताया कि यह आवश्यक सामग्री देवलसारी वार्ड में रहने वाले प्रभावित लोगों को संरक्षण सामाजिक कल्याण समिति के द्वारा बांटी गई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के बीस परिवारों के अलावा मजदूर और पर्यावरण मित्र शामिल थे। नगर पंचायत वार्ड में आपदा से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित करने के लिये सभासद लता नौटियाल ने संरक्षण सामाजिक कल्याण समिति देहरादून का आभार जताया। समिति के अध्यक्ष लक्ष्मी मिश्रा के इस जनहित में किये प्रयास की भी सराहना की।

जल्द पूरा होगा केशवपुरी में पार्क निर्माण का कार्य: एमएल शाह

ऋषिकेश। डोईवाला के केशवपुरी में 98 लाख रुपये की लागत से पार्क का निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाएगा। ताकि क्षेत्रवासियों को पार्क में खेल, सांस्कृतिक आयोजन और सैर-सपाटे के लिए सुविधा मिल सके। इस कड़ी में मंगलवार को डोईवाला नगर पालिका के ईओ एमएल शाह ने दशहरा मेला समिति के पदाधकारियों के साथ पार्क का निरीक्षण किया। ईओ ने कहा कि पार्क का कार्य तेजी से किया जा रहा है। बहुत जल्द इसे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। पार्क में बच्चों के लिए खेल उपकरण, स्थानीय आयोजनों के लिए मंच और नागरिकों के लिए खुला स्थल उपलब्ध रहेगा। कहा कि जो भी कार्य शेष रह गए हैं, उन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। दशहरा मेला एवं क्रीड़ा समिति के सचिव राजेंद्र वर्मा ने कहा कि दशहरा मेला और अन्य आयोजनों के लिए वर्षों से एक सुव्यवस्थित स्थल की मांग की जा रही थी। इस पार्क के तैयार हो जाने से नगर के साथ ही आसपास के क्षेत्रों की जनता को भी लाभ मिलेगा। समिति लगातार कार्य की प्रगति पर नजर बनाए हुए है और प्रयास रहेगा कि यह पार्क हर दृष्टि से आदर्श स्थल बन सके। नगर पालिका के मुख्य सफाई निरीक्षक सचिन रावत ने कहा कि पार्क में सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रखी जाएगी। ताकि यहां आने वाले लोगों को स्वच्छ वातावरण मिल सके।

निम्नांकित उल्लंघनों के लिए महीने में केवल एक बार जुर्माना लगाया जाएगा

8.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4 (6)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	निवासी कल्याण एसोसिएशन,आर. डब्ल्यू.ए बजार एसोसिएशन, संघ	10,000 20,000
9.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम4 (7)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान मे विफलता	द्वारबंद समुदाय संस्थान	10,000 20,000
10.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम4 (8)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	होटल रेस्टोरेंट	10,000 5000
11.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम17 (2)	उत्पादन के कारण सृजित पैकेजिंग कचरे को वापस लेने की प्रणाली कायम किये बिना डिस्पोजल उत्पादों की बिक्री अथवा विपणन	विनिर्माता और / या ब्रॉड ऑनर/ स्	25,000
12.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम17 (3)	नियमों के अनुसार उपाय करने में विफलता	विनिर्माता और ब्रॉड स्वामी और विपणन कुपनियां	50,000
13.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 15य (ङ)	नियमों के उपाय करने, भवन योजना में अपषिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता, ग्रुप हाउसिंग सोसाईटि या मॉर्केट काम्पलेक्स आदि	25,000
14.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम20 (ग)	गलियों, पहाडियों, सार्वजनिक स्थलो में अपशिष्ट यथा कागज, पानी की बोतल, शराब की बोतल, सोफ्ट ड्रिक, कैन, टैट्रा पैक अन्य कोई प्लास्टिक या कागज अपशिष्ट को फैकने पर	उल्लंघनकर्ता / पर्यटक / वाहन / चालक	2000
15.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20 (घ)	नगर पंचायत की उप विधि को होटल / अतिथिग्रह में बोर्ड लगाकर व्यवस्था करने में विफल	उल्लंघनकर्ता / होटल / अतिथिग्रह स्वामी	2000
16.		सार्वजनिक सभाओं (जलूस प्रर्दशिनियों, सर्कस, मेले, राजनैतिक रैलिया, वाणिजिक, धार्मिक, सास्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रर्दशन आदि सहित से सार्वजनिक स्थलो पर आयोजित गतिधियों के क्षेत्र एवं आस-पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करने में विफलता)	आयोजनकर्ता	5000

दीपक प्रताप
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत थलीसैण ।

श्रीमती वीरा देवी
अध्यक्ष,
नगर पंचायत थलीसैण ।

राज्यमंत्री देशराज कर्णवाल की अध्यक्षता में आयोजित किए गये बहुउद्देश्य शिविर

हरिद्वार। क्षेत्र की गरीब जनता की समस्याओं का त्वरित गति से निस्तारण करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कार सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल की अध्यक्षता में विधानसभा झबेरेड़ा विकास खण्ड नारसेन के तीन गाँव खालसा बस्ती, नजरपुरा, सैदपुरा में बहुउद्देश्य शिविर आयोजित किया गया। जिसमें क्षेत्र की जनता की समस्याओं के समाधान एवं सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करायी गयी।

बहुउद्देश्य शिविरों को सम्बोधित करते हुए राज्यमंत्री देशराज कर्णवाल ने उपस्थित जनता से कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि गरीब जनता की जो भी समस्या है उसका निराकरण उन्हीं के बीच पहुंचकर समाधान किया जाए इसी उद्देश्य को सफल बनाने के लिए सरकार चली गरीब के द्वार कार्यक्रम के अनुसार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया।

जिसमें समाज कल्याण एवं सम्बन्धित अन्य विभाग द्वारा सहभागिता की गयी। उन्होंने क्षेत्रवासियों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में देश एवं प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। तथा सभी वर्गों के लिए कहीं महत्वकांक्षी योजनाएं संचालित हो रही है। जिसके लिए उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि गरीब व्यक्तियों के लिय जो भी योजनाओं संचालित हो रही है उनका व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए उनका लाभ उन तक पहुचाने सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिएं। तथा क्षेत्रवासियों से भी संचालित योजनाओ का लाभ लेने का आवाहन किया। उन्होंने क्षेत्रवासियों को आश्वसत करते हुए कहा कि इस बहुउद्देश्य शिविर में जो भी समस्याएँ दर्ज करायी गयी है उन्होंने सम्बन्धित विभागों से निराकरण कराया जाय उन्होंने खण्ड विकास अधिकारियों एवं सम्बन्धित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये है कि जिलास्तरीय समस्याओं का निस्तारण हेतु जिला मुख्यालय को प्रेषित किया जाए।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक कोटद्वार के खाता संख्या 10568462057 में मेरा नाम दीपाली रावत (DEEPALI RAWAT) दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम दीपा देवी (DEEPA DEVI) है। दीपाली रावत एवं दीपा देवी ये दोनों नाम एक ही महिला के नाम है।

दीपा देवी पत्नी श्री सूरज पाल सिंह निवासी ग्राम ग्रास्टनगंज, सनेह, तहसील कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
(1263/21)

समयबद्धता और गुणवत्ता से पूरा करें सीवर प्रोजेक्ट: प्रेमचंद

ऋषिकेश। पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सीवर परियोजना निदेशक से ऋषिकेश नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तावित सीवर परियोजना के प्रस्तावित कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने जल्द सीवर कार्यों को पूरा करने और सड़कों का निर्माण तय समय में गुणवत्ता के साथ करने के निर्देश दिए। मंगलवार को बैराज कैंप कार्यालय में पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल संग सीवर परियोजना निदेशक एसके वर्मा ने बैठक की। उन्होंने पूर्व मंत्री के समक्ष गंगा बेसिन राज्यों में पर्यावरण अनुकूल शहरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों का विस्तृत नक्शा प्रस्तुत किया। परियोजना निदेशक ने बताया कि विभिन्न वार्डों में सीवर लाइन बिछाने, सीवेज ट्रीटमेंट एवं अन्य संबंधित कार्यों के लिए विस्तृत योजना बनाई गई है, जिससे गंगा नदी को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त रखने में मदद मिलेगी। काह कि प्रस्तावित कार्य में शहरी क्षेत्र में 60.11 किमी सीवर लाइन बिछाई जाएगी, जिसकी लागत लगभग 119.45 करोड़ होगी। ग्रामीण क्षेत्र खदरी में 79.89 किमी सीवर लाईन बिछाई जाएगी, जिसकी लगाता 138.13 करोड़ होगी। पूर्व मंत्री ने पूरी योजना की बारीकियों को समझा तथा अधिकारियों से परियोजना की प्रगति रिपोर्ट भी ली। उन्होंने विशेष रूप से दूसरे चरण में होने वाले कार्यों की जानकारी विस्तार से प्राप्त की। कहा कि जहां-जहां सीवर कार्य पूरे हो चुके हैं, वहां जीर्णशीर्ण सड़कों का निर्माण गुणवत्ता के साथ शीघ्र करवाया जाए। कहा कि यह परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके पूरा होने से स्थानीय जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

संक्षिप्त समाचार

समिति ने जताया आभार

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वारः राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार में गुर्दा रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति के संबंध में मानवाधिकार की ओर से संज्ञान लेने पर स्व.सरोजनी देवी लोक विकास समिति ने आभार व्यक्त किया है। कहा कि इस संबंध में मानवाधिकार ने स्वास्थ्य विकास को आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि वर्तमान में गुर्दा रोग विशेषज्ञ नहीं होने के कारण मरीजों को देहरादून सहित अन्य शहरों की दौड़ लगानी पड़ती है।

ग्रामीणों की मांग पूरी करने के हरसंभव प्रयास करूंगा: संजीव

हल्द्वानी। बागजाला के ग्रामीणों का आठ सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन 44वें दिन भी जारी रहा। मंगलवार को धरना स्थल पर पहुंचे नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य ने कहा कि वह मुख्यमंत्री से बात कर बागजाला के लोगों को मालिकाना अधिकार देने की मांग करेंगे। ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। लोगों के साथ हमेशा साथ खड़े रहने का वादा भी किया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट दुर्गा सिंह मेहता ने कहा कि सरकार गरीबों को उजाड़ने का काम करो, अपने खास दोस्तों को फायदा पहुंचाओं के फॉर्मूले पर चल रही है। सरकार के खिलाफ जनसंघर्ष ही एकमात्र विकल्प है। प्रधान बालम सिंह नौला, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेन्द्र खनवाल, हेमवती नंदन दुर्गापाल, खजान पांडेय, हेमंत बगड़वाल, हरेंद्र बीरा, हरेंद्र बोरा, राजू आर्य, राधा आर्य, उमेश टम्टा, माले जिला सचिव डॉ कैलाश पांडेय, डॉ. उर्मिला रैस्वाल, वेद प्रकाश ने भी संबोधित किया। धरने में प्रेम सिंह नयाल, विमला देवी, पंकज चौहान, चन्दन सिंह मटियाली, दीवान सिंह बर्गली, एमएस मलिक, ललित मटियाली, हेमा आर्य, हरक सिंह बिष्ट, परवेज, विमला पाण्डे, दुर्गा देवी, अनीता अन्ना, कौशल्या, पार्वती, भोला सिंह, दीपा, हीरा देवी, हेमा आर्य, दौलत सिंह, मंजू सिंह, निर्मला शाही, ललिता देवी, गीता देवी आदि मौजूद रहे।

यूओयू में एडमिशन के लिए प्रोत्साहित करने को कैंप लगाया

हल्द्वानी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय (यूओयू) द्वारा संचालित 'उच्च शिक्षा आपके द्वार अभियान के तहत यूओयू के संकाय सदस्यों व छात्रों ने हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर एक कैंप लगाया। इस दौरान यात्रियों, दुकानदारों को यूओयू द्वारा संचालित डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के साथ ही यूजीसी समर्थित दोहरी डिग्री प्रोग्राम की जानकारी दी गई। यात्रियों एवं रेलवे कर्मियों को विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान डॉ. लता जोशी, डॉ. आरुशी हिंवाली शुक्ला, हिमांशु पुनेठा, सुमित सिंह आदि मौजूद रहे।

शहर परियोजना कार्यालय का आधार डेस्क जल्द होगा एक्टिवेट

हल्द्वानी। शहर परियोजना कार्यालय में आधार डेस्क शुरू होने में अभी 15 दिन का समय लगेगा। बीते एक माह से बंद चल रहे केंद्र के ऑपरेटर की आईडी बंद होने से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। वर्तमान में यहां बच्चों के आधार बनाने का काम ग्रामीण परियोजना कार्यालय में ही किया जा रहा है, जबकि वयस्कों को आधार कार्ड के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर परियोजना कार्यालय के आधार ऑपरेटर की आईडी एक्टिवेशन के लिए भेज दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक आईडी एक्टिवेशन की प्रक्रिया पूरी होने में लगभग 15 दिन लगेंगे। इसके बाद शहर परियोजना कार्यालय में ही आधार कार्ड बनना शुरू हो जाएगा। बाल परियोजना अधिकारी शिल्पा जोशी का कहना है कि आईडी एक्टिवेट होते ही शहर परियोजना कार्यालय में आधार डेस्क सुचारु रूप से काम शुरू कर देगा।

फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन कब्जाने पर दिवंगत प्रधान समेत छह पर केस

हरिद्वार। बहादराबाद क्षेत्र के शांतरशाह में महंत के नाम से फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन कब्जाने पर कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दिवंगत प्रधान और भीम आर्मी के नेता, पिता और भाई समेत छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। महंत जोगेंद्र दास ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि शांतरशाह में उनकी जमीन है। गांव के तेजपाल सिंह, उसके बेटे अजय प्रताप और तेज प्रताप, रविंद्र तथा दो अन्य लोग इसे कब्जाना चाहते हैं। आरोप है कि सभी ने मिलकर 23 जून 2004 को 10 रुपये के स्टांप पेपर पर रसीद तैयार कर दिखाई, जिसमें लिखा गया कि महंत राजेंद्र दास ने 50 हजार रुपये में यह जमीन बेच दी है।

विभिन्न महाविद्यालयों के विजयी प्रत्याशियों ने मुख्यमंत्री से भेंट की

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महाविद्यालयों के विजयी प्रत्याशियों ने मुख्यमंत्री आवास में भेंट की। मुख्यमंत्री ने सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि युवा ही देश और राज्य की प्रगति की असली शक्ति हैं, और उनकी सक्रिय भागीदारी से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। विजयी प्रत्याशियों ने मुख्यमंत्री को अपनी आगामी योजनाओं और छात्र समाज के हित में किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने उन्हें मार्गदर्शन और सहयोग देने का आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं के विकास और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

उत्तराखंड बोर्ड के 9वीं और 11वीं के छात्रों के 31 तक होंगे पंजीकरण

देहरादून। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों अध्ययनरत सभी संस्थागत और व्यक्तिगत छात्र-छात्राओं का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। परिषद ने सभी विद्यालयों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह अध्ययनरत शत-प्रतिशत छात्रों का पंजीकरण तय समय सीमा के भीतर कर लें। बोर्ड के सचिव बीवी सिमल्टी ने बताया कि वर्ष 2027 में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले ऐसे सभी छात्रों के पंजीकरण अनिवार्य किए गए हैं, जो अभी नौवीं और 11वीं में पढ़ रहे हैं। इस संबंध में सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वह 31 अक्तूबर तक छात्रों का पंजीकरण करवा लें। तय तिथि के बाद किसी भी दशा में पंजीकरण शुल्क जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मॉल रोड पर पटरी व्यवसायियों के दुकान लगाने पर हंगामा

देहरादून। मॉल रोड पर पटरी व्यवसायियों द्वारा दुकान लगाने को लेकर पटरी व्यवसायी, नगर पालिका के अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। पटरी व्यापारियों का कहना है कि तीन माह तक बिना रोजगार के पालिका के पटरी व्यापारियों के चिन्हीकरण की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन पालिका ने अभी तक चिन्हीकरण नहीं किया। इससे उनके परिवार के सामने नया संकट खड़ा हो गया है। पालिका के विरोध के बावजूद पटरी लगाने पर पटरी व्यवसायी संगीता सेमवाल का कहना है कि वह पिछले 15 वर्षों से पटरी लगाती हैं व विगत तीन माह से पालिका के चिन्हीकरण करने की बात कहने पर पटरी नहीं लगाई, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर बात होने पर पटरी लगाई।पालिका की टीम आई कि दुकान हटाओ लेकिन हमने विरोध किया व पटरी नहीं हटाई। उन्होंने कहा कि परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच जाने पर मजबूर होकर पटरी लगानी पड़ी है। कहा कि पालिका प्रबंधन से बात करो तो सही जवाब नहीं मिलता है। चुनाव के समय तो घर घर आते थे लेकिन अब सुनवाई नहीं हो रही। अब त्योहार का सीजन आ गया है जिस पर हर हाल में दुकान लगाएंगे। पटरी व्यापारी शिवम कुमार ने कहा कि तीन माह पहले हमें बिना आदेश के हटा दिया गया था व व्यवस्थित करने को कहा गया था लेकिन अब 15 दिन का समय मांगा जा रहा है। पालिका की टीम आई थी, जिनके पास कोई लिखित आदेश नहीं है, तो किस बेस पर हटाया जा रहा है। पालिका सभासद गीता कुमाईं ने कहा कि पटरी व्यापारियों से नासवी संस्था के साथ समिति बनायी थी जिसमें वह संरक्षक है। उन्होंने कहा कि वह पटरी वालों के साथ खड़ी हैं। धारा 12 के अंतर्गत बिना नोटिस दिए या पुनर्वास किए हटा नहीं सकते, लेकिन तीन माह बाद भी दुकानें नहीं लगाने दी गई। वेडिंग जोन नहीं बन पाए। पहले चरण में चालीस को देंगे तो तीन माह में चिन्हीकरण नहीं किया। मौके पर पुलिस प्रशासन और नगर पालिका द्वारा पटरी व्यवसायों को हटाने के लिए मौके पर पहुंचे जिससे तीखी नोक झोक हो गई फिलहाल कुछ पटरी व्यवसाय माल रोड पर दुकान लगाकर बैठ गए। पालिका सभासद गीता कुमाई व पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल ने पटरी व्यवसायियों का समर्थन करते हुए नगर पालिका द्वारा की गई उक्त कारवाई का सख्त विरोध किया।पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल ने कहा कि नगर पालिका द्वारा 3 महीने में वेंडिंग जून बनाने को लेकर कोई कारगर नीति नहीं बनाई गई है, और जो पालिका द्वारा दुकान बनाई जा रही हैं वह व्यवसायियों के अनुरूप नहीं है।

कांग्रेसियों ने किया जलसंस्थान कार्यालय का घेराव किया

विकासनगर। क्षेत्र की पेयजल समस्याओं और अफसरों पर अभद्रता करने का आरोप लगाकर कांग्रेसियों ने जल संस्थान कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अफसरों को व्यवहार में परिवर्तन लाने की सलाह दी। साथ ही जनप्रतिनिधियों की ओर से उठाई गई समस्याओं का तत्काल निराकरण करने की बात कही। ऐसा न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। जिला पंचायत सदस्य व पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय किशोर के नेतृत्व में मंगलवार को कांग्रेसी मंडी चौक स्थित जलसंस्थान कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने प्रदर्शन कर कार्यालय का घेराव किया। साथ ही एसडीओ की अनुपस्थिति में जेई से वार्ता की। संजय किशोर ने कहा कि कुछ दिन पूर्व रुद्रपुर में डबल बिल की समस्या को लेकर युवा नेता और चुनाव लड़ चुके अभिरंजन जलसंस्थान कार्यालय पहुंचे थे। जहां विभाग के अधिकारियों ने उनके साथ अभद्रता की। जेल भेजने तक की धमकी दी गई। संजय ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है, लेकिन उनका निराशाजनक रवैया अस्वीकार्य है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जब अधिशासी अभियंता उपस्थित होंगे, तब इस विषय पर विस्तृत वार्ता की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने मार्टिनेंटल, चिरंजीपुर और डॉक्टर गंज क्षेत्रों में लंबे समय से चल रही पानी की किल्लत की समस्या को भी उठाया और उसके निवारण की मांग की। इस दौरान पूर्व शहर अध्यक्ष शम्मी प्रकाश, सभासद लवलेश शर्मा, पर्सी वेल्स, संदीप, रॉकी, अभीराजन, असद खान,रिकू कनौजिया, समीर अंसारी, अनस मुनीर, सुबोध वर्मा, बिन्नू मौजूद रहे।

उत्तरकाशी को शिकस्त देकर साहिया ने जीती कबड्डी प्रतियोगिता

विकासनगर। श्री देव सुमन विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता में साहिया कॉलेज की बालिका टीम प्रथम स्थान पर रही। उत्तरकाशी महाविद्यालय की टीम को द्वितीय स्थान से संतोष करना पड़ा। प्रतियोगिता शालू सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गईं। प्रतियोगिता का समापन मंगलवार को एसएमआर जनजातीय पीजी कॉलेज साहिया के प्रांगण में हुआ।

दो दिवसीय इस प्रतियोगिता में गढ़वाल मंडल के विभिन्न महाविद्यालयों से बालक वर्ग की 14 तथा बालिका वर्ग की 10 टीमों ने हिस्सा लिया। बालक वर्ग में एसएमआर जनजातीय कॉलेज की टीम फाइनल में पहुंच गई। इस अवसर पर कॉलेज चेयरमैन और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।

स्वच्छता सर्वेक्षण में डोईवाला नगर पालिका ने द्वितीय स्थान बनाया

ऋषिकेश। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से निर्धारित मानकों के तहत उत्कृष्ट कार्य करने पर डोईवाला नगर पालिका को स्वच्छता सर्वेक्षण में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर अटल निर्मल नगर पुरस्कार 2025 के लिए चयनित किया गया है। नगर पालिका के ईओ एमएल शाह ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों पर उत्कृष्ट कार्य के लिए डोईवाला निकाय को नगर पालिका परिषद श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। डोईवाला नगर पालिका परिषद को एक अक्तूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रतिष्ठित अटल निर्मल नगर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान डोईवाला क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण है और पूरे शहर में उत्साह का माहौल है। निकाय द्वारा किए गए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ओडीएफ की स्थिति बनाए रखने और सार्वजनिक जागरूकता अभियानों में निरंतर प्रयासों के कारण ही यह सफलता मिली है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय समस्त नगर पालिका कर्मचारियों, सफाई मित्रों और जागरूक नागरिकों को दिया।

डाक विभाग ने शुरू की दीनदयाल स्पर्श योजना

हल्द्वानी। 64 बच्चे अब तक खुलवा चुके हैं खाता 11 और 12 अक्तूबर को प्रतियोगिता में करेंगे प्रतिभाग हल्द्वानी, संवाददाता। डाक विभाग ने स्कूली बच्चों में डाक टिकट संग्रह की रुचि बढ़ाने के लिए दीनदयाल स्पर्श योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे 200 रुपये का फिलेटली अकाउंट खुलवा कर आवेदन कर सकते हैं।

विभाग की ओर से खाता खोलने पर प्रतिभागी बच्चों को विशेष स्टैम्प दिए जाएंगे। डाक विभाग ने दीनदयाल स्पर्श योजना शुरू कर बच्चों को विशेष टिकट पर प्रोजेक्ट बनाने का मौका दिया है। इसके तहत विशेष फिलेटली प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए खाता खोलने वाले बच्चों को डाक विभाग की ओर से विशेष डाक टिकटों का सेट मुफ्त में दिया जाएगा। योजना में शामिल बच्चों को टिकट पर प्रोजेक्ट बनाने का अवसर मिलेगा, जिसे डाक विभाग की विशेष डाक टिकट प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा।

विभाग का कहना है कि यह योजना बच्चों में डाक टिकटों के प्रति जागरूकता और संग्रह की आदत विकसित करने में मदद करेगी।

विभाग की ओर से आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता का आयोजन 11 और 12 अक्तूबर को नैनीताल में होने जा रहा है। सहायक प्रवर अधीक्षक प्रकाश चंद्र पांडे ने बताया कि विभाग की ओर से संचालित इस योजना में अब तक शहर के 64 बच्चों ने खाते खुलवा लिए हैं। विभाग की ओर से इसके लिए बच्चों को 200 रुपये मूल्य के स्पेशल स्टैम्प दिए गए हैं।

गार्ड के साथ मारपीट करने वाले पिता- पुत्र गिरफ्तार

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वारः भाबर क्षेत्र के कलालघाटी स्थित कंपनी में गार्ड के साथ मारपीट कने वाले पिता-पुत्र के पुलिस ने गिफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने बताया कि पीड़ित की ओर से 112 के माध्यम से जानकारी दी गई थी। बताया गया था कि कलालघाटी स्थित जय मातेश्वरी स्टील कंपनी में दो व्यक्ति हंगामा कर रहे हैं। दोनों पिता पुत्र हैं और कंपनी को स्वयं की बताते हुए गार्ड के साथ मारपीट कर रहे हैं। बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया। लेकिन, इसी दौरान पिता-पुत्र ने गार्ड के साथ मारपीट शुरु कर दी। जिससे गार्ड को चोट भी आई है। बताया कि मामले में दिल्ली प्रीतमपुरा निवासी नंदकिशोर व उसके पुत्र आशीष को गिरफ्तार किया गया है।

दुर्गा अष्टमी पर महागौरी की पूजा के लिए मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु

विकासनगर। शारदीय नवरात्र की दुर्गाष्टमी पर माता के महागौरी स्वरूप की पूजा-अर्चना की गई। हालांकि, तीसरे नवरात्र के दो दिन होने के कारण कई लोगों ने सोमवार को ही कन्याओं का पूजन कर लिया था। मंगलवार को श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंच कर महागौरी की स्तुति की। श्रद्धालु नवरात्र का व्रत कर अष्टमी के दिन कन्याओं की पूजा कर उन्हें श्रद्धा पूर्वक भोजन करवाते हैं। मान्यता है कि कन्या पूजन से मां भगवती का आशीर्वाद मिलता है। मां दुर्गा के आठवें स्वरूप की पूजा के साथ कन्या पूजन से मां दुर्गा को प्रसन्न किया जाता है, लेकिन इस बार आदि शक्ति के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा दो दिन होने के कारण कई लोगों में अष्टमी तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति रही, जिस कारण कई लोगों ने आठवें दिन के लिहाज से सोमवार को ही कन्या पूजन कर लिया था। बावजूद इसके दुर्गाष्टमी पर मंगलवार को पछुवादून के सभी मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन व आरती कर मन्नतें मांगी। मंदिरों में रही श्रद्धालुओं की भीड़: काली माता मंदिर कालसी, दुर्गा माता मंदिर भोजावाला, सुरकंडा माता मंदिर कैनाल रोड, बाला सुंदरी मंदिर झाझरा, काली माता मंदिर अस्पताल रोड विकासनगर में मंगलवार सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। शाकुंभरी मंदिर में हुआ भंडाराः चकराता। दुर्गाष्टमी के मौके पर प्राचीन देवी मंदिर चांदपुर में विशाल भंडारे के आयोजन किया गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मंदिर में माथा टेक कर प्रसाद ग्रहण किया। इससे पूर्व मंदिर समिति द्वारा कन्या पूजन किया गया। श्रद्धालुओं ने माथा टेक कर सुख समृद्धि की कामना की।

गरबा नाइट और फ्रेशर पार्टी में जमकर थिरके छात्र-छात्राएं

विकासनगर। माया देवी विश्वविद्यालय सेलाकुई में नवप्रवेशित छात्रों के स्वागत के लिए संस्कारंभ-2025 के तहत फ्रेशर पार्टी एवं गरबा नाइट का आयोजन किया गया। इस दौरान नवप्रवेशित छात्र और पुराने छात्र जमकर थिरके। इस दौरान कामना मिस फ्रेशर व ईशान मिस्टर फ्रेशर चुने गए।

कार्यक्रम का शुभारंभ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष एमएल जुयाल, माया ग्रुप की चेयरपर्सन प्रभा देवी जुयाल, उपाध्यक्ष डॉ. तृप्ति जुयाल सेमवाल एवं कुलपति प्रो. डॉ. आशीष सेमवाल ने दीप जलाकर एवं मां सरस्वती वंदना के साथ हुआ। फ्रेशर्स पार्टी में छात्रों ने अपनी विविध प्रस्तुतियों नृत्य, गायन, ग्रुप डांस, शायरी, रैम्प वॉक और रैप परफॉर्मेंस से माहौल को जीवंत कर दिया। सभी प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा और आत्मविश्वास का शानदार प्रदर्शन किया। शाम का विशेष आकर्षण रैम्प वॉक प्रतियोगिता रही। जिसमें नए विद्यार्थियों ने अपने व्यक्तित्व और आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया। निर्णायक मंडल में वर्ष 2023 की मिस उत्तराखंड सानिया रौतेला ने निर्णायक की भूमिका निभाई। विजेताओं का चयन प्रतिभा, आत्मविश्वास और प्रस्तुति के आधार पर किया गया। उत्साह और उमंग के बीच मिस फ्रेशर का खिताब कामना तथा मिस्टर फ्रेशर का खिताब ईशान को प्रदान किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के उभरते हुए सितारे और लोकप्रिय गायक लव जुयाल ने अपनी ऊर्जावान व मधुर प्रस्तुति से सभी के दिल जीत लिए। कार्यक्रम का समापन गरबा नाइट के साथ हुआ, जिसमें छात्र-छात्राओं, संकाय सदस्यों और अतिथियों ने मिलकर ढोल और संगीत की थाप पर गरबा डांस का आनंद लिया। इस दौरान परिसर उत्साह, रंगों और सांस्कृतिक एकता से सराबोर हो गया। कार्यक्रम में डायरेक्टर जनरल माया देवी यूनिवर्सिटी गौरव जुयाल, डॉ. सीता जुयाल, गौरव तोमर, डॉ. संदीप विजय, डॉ. शिवानी जग्गी, डॉ. विकास, डॉ. प्रिया आदि मौजूद रहे।

पुरी संजीवनी हॉस्पिटल मनाएगा सिल्वर जुबली

ऋषिकेश। पुरी संजीवनी हॉस्पिटल अपने 25 वर्ष पूरे होने पर सिल्वर जुबली मनाएगा। हॉस्पिटल में 6 से 11 अक्तूबर तक महिला स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा, जिसमें महिलाओं को निशुल्क ओपीडी और न्यूनतम शुल्क में ऑपरेशन की सुविधा दी जाएगी।

मंगलवार को अस्पताल के संस्थापक लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉ. विनोद कुमार पुरी और लेप्रोस्कॉपी गाइनेकोलॉजिस्ट डॉ. विनोदिता पुरी ने पत्रकार वार्ता की। डॉ. विनोद पुरी ने बताया कि अस्पताल की सिल्वर जुबली पर गरीब और असहाय महिलाओं के लिए विशेष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

नालियों की दुर्गंध बनी जी का जंजाल

ऋषिकेश। नगर पालिका के वार्ड नंबर 18 प्रेमनगर में पानी की निकासी न होने के कारण गलियों की नालियों में पानी सड़ रहा है, जिससे भयंकर दुर्गंध फैलने से लोग काफी परेशान हैं। वार्ड क्षेत्र के ज्ञान विहार, भूसा स्टोर मार्ग, साईं गली, पांडे गली, दून घाटी कॉलेज गली आदि मार्ग की नालियों में भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण उर्फ बाबू सैनी ने कहा कि राम सुचित, जगदीश, सुखपाल, जगपाल, अतर सिंह, राजा सैनी, शमशेर सिंह की गली क्षेत्र में पानी की निकासी न होने से भयंकर दुर्गंध आ रही है। नगर पालिका ईओ एमएल शाह ने कहा कि बरसात के कारण काफी जगह पालिका क्षेत्र की नालियां चोक हो गईं थीं, जिन्हें खोले जाने का कार्य कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। प्रेम नगर में भी दशहरे तक नालियों की साफ-सफाई करा दी जाएगी।

पछुवादून में दशहरा मेले के लिए रावण के पुतले तैयार करने में जुटे कारीगर

विकासनगर। पछुवादून में इन दिनों दशहरा पर्व की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। तमाम जगहों पर लगाए जाने वाले दशहरे मेले को अंतिम रूप दिया जा रहा है। डाकपत्थर के बैराज ग्राउंड समेत तिकोना पार्क, विकासनगर, सेलाकुई और नई यमुना कालोनी में हर साल दशहरा मेला का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के बड़ी संख्या में लोग उमड़ते हैं। ऐसे में इस साल भी बैराज ग्राउंड को भव्य रूप से दशहरा मेला के लिए तैयार किया जा रहा है। हरबर्टपुर में रामलीला समिति की ओर से रावण, कंभकरण, मेघनाद के पुतलों के साथ ही रावण की लंका भी तैयार की जा रही है। दशहरा पर्व पर लंका दहन के बाद रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतले का दहन किया जाएगा।

गांव में भी तैयार किए जा रहे रावण के पुतलेः पछुवादून में हर साल विजयादशमी पर गांव, गलियों में भी रावण के पुतलों का दहन किया जाता है। रावण के पुतले को तैयार करने में कारीगर जुटे हैं। डाकपत्थर बैराज मैदान में इस साल 60 फीट लंबा रावण का पुतला तैयार किया जा रहा है। नई यमुना कॉलोनी में 50 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन होगा। डाकपत्थर बैराज मैदान

पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग

हल्द्वानी। उत्तरकाशी के युवा पत्रकार राजीव प्रताप की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत पर सवाल उठने लगे हैं। मंगलवार को हल्द्वानी को पत्रकारों ने सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। उन्होंने कहा कि पत्रकार राजीव लंबे समय से उत्तरकाशी के अस्पतालों में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामले खोल रहे थे। परिजनों के मुताबिक उनको धमकी भी मिल रही थी। बीते दिनों व अचानक गायब हो गए थे। करीब 10 दिनों बाद उनका शव उत्तरकाशी के जोशयाड़ा बैराज में बरामद हुआ, जिसके बाद से उनकी हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। पत्रकारों ने मामले में उच्च स्तरीय जांच के बाद दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है।

डोईवाला के पूर्व सैनिक विनोद को रक्षा मंत्री ने किया सम्मानित

ऋषिकेश। डोईवाला निवासी सेवानिवृत्त सैनिक नायक विनोद कुमार और उत्तरकाशी निवासी सेवानिवृत्त लांस नायक राजेश सेमवाल को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सम्मानित किया। उन्हें यह सम्मान नेशनल कॉन्क्लेव 2025 में सेना से सेवानिवृत्त के बाद समाज में उत्कृष्ट कार्य करने पर प्राप्त हुआ है। डोईवाला में मिलिट्री इक्विमेंट संस्थान संचालक विनोद कुमार ने बताया कि बीते रोज नई दिल्ली के मानेकशॉ ऑडिटोरियम में आयोजित नेशनल कॉन्क्लेव 2025 में सेना से रिटायर्ड होने के बाद उत्कृष्ट कार्य करने वाले देश के 14 पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। इसमें उत्तराखंड से डोईवाला निवासी पूर्व सैनिक नायक विनोद कुमार और उत्तरकाशी निवासी वंदे मातरम ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेंटर संचालक सेवानिवृत्त लांस नायक राजेश सेमवाल को भी सम्मानित किया गया। विनोद कुमार ने बताया कि वे मिलिट्री इक्विमेंट संस्थान के जरिए सैना की वर्दी सहित अन्य उपकरण बनाने का कार्य करते हैं, जिसमें 2000 से अधिक महिलाओं को वे सिलाई सहित अन्य प्रशिक्षण और रोजगार दे चुके हैं, जिसके लिए उनका सम्मान हुआ है।

जयन्त
संस्थापक
स्व.नरेन्द्र उनियाल
प्रकाशक,मुद्रक और स्वामी
नागेन्द्र उनियाल द्वारा प्रतिभा प्रेस से मुद्रित तथा बद्रीनाथ मार्ग कोटद्वार (गढ़वाल) से प्रकाशित
-सम्पादक
नागेन्द्र उनियाल
आर.एन.आई. 35469/79
फोन/फैक्स 01382-222383
मो. 8445596074, 9412081969
e-mail:
nagendra.uniyal@gmail.com